

PRESIDENT'S SECRETARIAT
(Establishment Section)

Recruitment Rules for various category in Household and Garden (Work-charged)
Establishments of the President's Secretariat, Rashtrapati Bhavan, New Delhi.

SI No.	Category	No. of posts	Pay Level	Age Limit	Qualification	Method of recruitment
1	Additional Comptroller, President's Household (On grant of non-functional up-gradation the incumbent in the said post will be re-designated as Special Comptroller, President's Household)	01	PB:3 Rs.15600-39100+ GP Rs.7600 (7 th CPC – Level:12) The incumbent of this post will be entitled for non-functional up-gradation to PB-4 Rs.37400-67000 + GP:Rs.8700/- (Level:13 of Pay Matrix in 7 th CPC) on completion	No exceeding 50 years	Diploma in Hotel Management from a recognized institution with 5 years experience as Catering Manager or as may be decided by the appointing authority.	By deputation from Central/State Governments or Public Sector with persons holding analogous posts or as may be determined by the appointing authority.

			of 4 years of regular service In the said post of ACPH			
2	Supervisor	01	Level:6	Below 35 years	Graduation with 5 years experience of working on a supervisory post in a Hotel/Guest House or as may be decided by the appointing authority.	By deputation from Central/State Government or Public Sector with persons holding analogous posts failing which by direct recruitment or as may be determined by the appointing authority.
	KITCHEN SERVICE					
1	Chief Cook Grade-I	01	Level:6	-	Exceptional experience of the working of kitchen and bakery	By promotion from Chief Cook Gr-II/Chief Baker with two years service in the grade on selection basis.
2	Chief Cook Grade-II	01	Level:5	-	Exceptional experience in cookery	By promotion from Head Cooks with 2 years service in the grade on selection basis.
3	Head Cook	04	Level:4	-	Exceptional experience in cookery	By promotion from Senior Cooks with 5 years service on selection basis.
4	Senior Cook	04	Level:3	-	Exceptional experience in cookery	By promotion from Cooks/Head Cook's Mate with 5 years service on selection basis.
5	Cook	03	Level:2	-	Exceptional experience in cookery	By promotion from Cook's Mate with 5 years service on selection basis.
6	Head Cook's Mate	01	Level:2	-	Experience and proficiency in cookery	By promotion from Cook's Mate with 5 years service on selection basis.
7	Cook's Mate	09	Level:1	18-27 years	(i)Minimum Class XII pass from a recognized Board. (ii)Minimum 02 year Diploma Course in Food Products/03 years Apprenticeship Course under NCVT/NCHMCT. (iii)All Courses should be recognized by NCVT/NCHMCT. (iv)Minimum 02 years experience in the	By direct recruitment.

					hospitality industry in the same field.	
	BAKERY SERVICE					
1	Chief Baker	01	Level:5	-	Exceptional experience & proficiency in preparation of bakery items.	By promotion from Head Halwai with 6 years service on selection basis failing which from Baker/Assistant Halwai with 10 years service on selection basis..
2	Head Halwai	01	Level:4	-	Exceptional experience in preparation of Indian sweets.	By promotion from Halwai/Baker with 5 years service on selection basis failing which by direct recruitment with persons possessing qualifications prescribed for Assistant Halwai.
3	Baker/Halwai	02	Level:3	-	Exceptional experience in preparation of Indian sweets.	By promotion from Assistant Baker with 2 years service or Assistant Halwai with 5 years service on selection basis.
4	Assistant Halwai	01	Level:2	35 years	Essential: Matriculation and knowledge of preparation of Indian Sweets and Snacks. Desirable: Trade Course from a recognized institution.	By direct recruitment.
5	Assistant Baker	01	Level:2	-	-	By promotion from Baker's Mate with 3 years service on selection basis.
6	Baker's Mate	01	Level:1	18-27 years	(i)Minimum Class XII pass from a recognized Board. (ii)Minimum 01 year Diploma Course in Bakery & Confectionery/02 years Apprenticeship Course in Bakery & Confectionery. (iii)All Courses should be recognized by NCVT/NCHMCT. (iv)Minimum 02 years experience in a bakery in hospitality industry.	By direct recruitment.
	PANTRY SERVICE					
1	Chief Butler	01	Level:5	-	-	By promotion from Head Butlers with 2 years service in the grade on selection basis.
2	Head Butler	04	Level:4	-	-	By promotion from Senior Butlers with

						5 years service in the grade on selection basis.
3	Senior Butler	16	Level:3	-	-	By promotion from Butlers with 5 years service in the grade on selection basis.
4	Butler	16	Level:2	-	-	By promotion from SCM with 5 years service on selection basis.
5	Silverman-cum-Masalchi	18	Level:1	18-27 years	(i)Minimum Class XII pass from a recognized Board. (ii)Minimum 01 year Diploma Course in Food & Beverage operations/02 years Apprenticeship Course in Food & Beverage operation. (iii)All Courses should be recognized by NCVT/NCHMCT. (iv)Minimum 02 years experience in the hospitality sector in F&B operations.	By direct recruitment.
	ROOM SERVICE					
1	Chief Room Attendant	01	Level:5	-	-	By promotion from Head Room Attendants/Senior Household-cum-Lift Attendants with 2 years service on selection basis.
2	Head Room Attendant	04	Level:4	-	-	By promotion from Senior Room Attendant with 5 years service on selection basis.
3	Senior Room Attendant	15	Level:3	-	-	By promotion from Room Attendant Grade-I with 5 years service on selection basis.
4	Room Attendant Grade-I	13	Level:2	-	-	By promotion from Room Attendant Grade-II with 5 years service on selection basis.
5	Room Attendant Grade-II	11	Level:1	18-27 years	(i)Minimum Class XII pass from a recognized Board. (ii)Minimum 01 year Diploma Course in Housekeeping/1-1/2 years Apprenticeship Course under NCVT/NCHMCT. (iii)All Courses should be recognized by NCVT/NCHMCT.	By direct recruitment.

					(iv)Minimum 02 years experience in same trade in hospitality service industry.	
	HOUSE SERVICE					
1	Chief Household Attendant	01	Level:5	-	-	By promotion from Head Household Attendants/Senior HHA-cum-Lift Attendant/Personal Attendant/Transport Jamadar on selection basis with 5 years service.
2	Personal Attendant	02	Level:4	-	-	By promotion from Senior Household Attendant with 5 years service on selection basis or as may be determined by the President.
3	Transport Jamadar	01	Level:4	-	-	By promotion from Senior Household Attendant with 5 years service on selection basis.
4	Head Household Attendant	02	Level:4	-	-	By promotion from Senior Household Attendant with 5 years service on selection basis.
5	Senior Household-cum-Lift Attendant	03	Level:4	-	-	By promotion from Senior Household Attendant with 5 years service on selection basis.
6	Senior Household Attendant	17	Level:3	-	-	By promotion from House Attendant Grade-I with 5 years service on selection basis.
7	House Attendant Grade-I	13	Level:2	-	-	By promotion from House Attendant Grade-II with 5 years service on selection basis.
8	House Attendant Grade-II	09	Level:1	18-27 years	(i)Minimum Class XII pass from a recognized Board. (ii)Certificate Course/Craft Course/01 year Diploma in relevant trade from a reputed institution (iii)Minimum 02 years experience in the hospitality service industry in the similar trade.	By direct recruitment.
	STORE SERVICE					
1	Chief Store Keeper	01	Level:5	-	-	By promotion from Store Keeper with

						02 years service on selection basis.
2	Store Keeper	04	Level:4	-	-	By promotion from Store Attendants with 05 years service on selection basis.
3	Painter-cum-Store Keeper	01	Level:3	-	-	By promotion from Store Attendants/possessing knowledge of painter's job with 05 years service on selection basis.
4	Store Attendant	04	Level:3	-	-	By promotion from House Attendant Grade-I/Room Attendant Grade-I with 05 years service on selection basis.
	LAUNDRY SERVICE					
1	Chief Laundryman	01	Level:5	-	-	By promotion from Head Laundryman with 03 years service/Senior Laundryman with 07 years regular service on selection basis.
2	Head Laundryman	01	Level:4	-	-	By promotion from Senior Laundryman with 04 years service on selection basis.
3	Senior Laundryman	02	Level:3	-	-	By promotion from Laundryman with 05 years service on selection basis.
4	Laundryman	06	Level:2	-	-	By promotion from Washerman with 05 years service on selection basis.
5	Washerman	10	Level:1	18-27 years	(i)Minimum Class XII pass from a recognized Board. (ii)Knowledge of washing clothes, use of soap, chemicals, detergent etc. (iii)Minimum 02 years experience of working in Mechanized Laundry.	By direct recruitment.
	SPORTS SERVICE					
1	Coach: Tennis	01	Level:6	35 years for direct recruits	1.Senior Secondary and Diploma in any discipline from Sports Authority of India/Netaji Subhash National Institute of Sports. 2.Experience of coaching and ability to converse in English	By promotion from the Sports Service staff having requisite qualification and experience on selection basis failing which by depuration from Sports organizations of the Central/State Governments failing which by direct

					OR 1. Bachelor of Physical Education from a recognized institution. 2. Experience of coaching in concerned discipline OR Participation in Olympic/Asian Games/World Championship with Certificate Course in coaching.	recruitment.
2	Chief Marker	01	Level:5	-	-	By promotion from Head Marker/Golf Marker with 02 years service on selection basis.
3	Coach Grade-II: Squash/Swimming	02	Level:4	35 years for direct recruit	For direct recruits Essential: Matriculation Desirable: Trade Course from a recognized institution.	By promotion from Squash Marker Grade-I/Life Guard with 05 years service on selection basis failing which by direct recruitment.
4	Head Marker: Tennis	01	Level:4	35 years for direct recruit	For direct recruits Essential: Matriculation Desirable: Trade Course from a recognized institution.	By promotion from Tennis Marker Grade-I with 05 years service on selection basis failing which by direct recruitment.
5	Golf Marker	01	Level:4	35 years for direct recruit	(a) Matriculation with fluency in spoken English (b) Experience of coaching in Golf	By promotion from Tennis Marker Grade-I possessing requisite qualification and 05 years service on selection basis failing which by direct recruitment.
6	Tennis Marker Grade-I/Squash Marker Grade-I	03	Level:3	35 years for direct recruit	For direct recruits Essential: Matriculation Desirable: Trade Course from a recognized institution.	By promotion from Markers Grade-II (Squash/Tennis) with 05 years service on selection basis failing which by direct recruitment.
7	Life Guard	01	Level:3	Below 35 years	(a) Matriculation (b) Certificate in First Aid and Certificate in Swimming with adequate knowledge of life saving techniques.	By deputation from Central/State Government or by direct recruitment.
8	Squash Marker	02	Level:2	-	-	By promotion from Sports Attendant with experience in the respective field on selection basis.
8(a)	Tennis Marker	03	Level:2	-	-	By promotion from Sports Attendant

	Grade-II					with experience in the respective field on selection basis.
9	Sports Attendant	03	Level:1	18-27 years	1) 12 th pass with 2) Certificate of Participation at the State/National Level in any Sports/Games. OR 02 years experience in sports facilitation (As helper in preparation, maintenance of ground etc.) at Government Organisation/Institution.	By direct recruitment.
10	Gym Instructor	01	Level:3	35 years for direct recruit	For direct recruits 12 th Pass with 01 year Certificate Course in Fitness and Gym Instructor from SAI/University Affiliated/Government Institutions and 03 years experience as Gym Instructor in a Gym under Central/State Govt.	By deputation/direct recruitment.
	MISCELLANEOUS SERVICES					
1	Public Relation Officer (earlier Reception Officer)	01	Level:11	18-35 years for direct recruit	Essential (a) Graduation or equivalent degree from recognized university and having experience to deal with public at least for 02 years. Desirable Post Graduation or equivalent degree from recognized university	By deputation/absorption/promotion and failing which by direct recruitment.
2	Caretaker	01	Level:6	Below 35 years for direct recruit	(a) Graduation (b) Experience of the work of Caretaker in a concern of repute in public or private sector. (c) 06 months Certificate course in computers with Microsoft suite.	By direct recruitment.
3	Barber	01	Level:2	18-27 years	12 th Pass with Trade Course which should be of NSQF Level-4 and above from Recognized Hair Dressing Institution and 02 years experience of reputed saloon.	By direct recruitment.
4	Carpenter	01	Level:2	18-27 years	Essential: Matriculation Desirable: Trade Course from a recognized	By direct recruitment.

					Institution.	
5	Tailor	02	Level:2	18-27 years	Essential: Matriculation Desirable: Trade Course from a recognized Institution.	By direct recruitment.
6	Tinman Grade-I	01	Level:2	18-27 years	Essential: Matriculation Desirable: Trade Course from a recognized Institution.	By promotion from Tinman Grade-II possessing requisite qualification and 05 years service on selection basis failing which by direct recruitment.
7	Laboratory Assisatant	01	Level:3	18-27 years	Essential: Matriculation Desirable: Trade Course from a recognized Institution.	By direct recruitment.
8	Senior Ambulance Attendant	01	Level:2	-	-	By promotion from Ambulance Attendant with 03 years service.
9	Ambulance Attendant	01	Level:1	18-27 years	Essential: Matriculation Desirable: Trade Course from a recognized Institution.	By direct recruitment.
	GARAGE SERVICES					
1	Special Grade Driver	01	Level:6	-	Exceptional experience and proficiency in driving.	By promotion from Grade-I Driver with 03 years service on selection basis.
2	Grade-I Driver	10	Level:5	-	Exceptional experience and proficiency in driving.	By promotion from Grade-II Driver with 06 years/combined service of 15 years in Grade-II & Ordinary Grade put together on selection basis.
3	Grade-II Driver	08	Level:4	-	Exceptional experience and proficiency in driving.	By promotion from Ordinary Grade Driver with 08 years service on selection basis.
4	Ordinary Grade Driver	19	Level:2	35 years for direct recruits	Essential: (a) 10 th pass (b) Possession of a valid driving licence of HMV and LMV. (c) Experience of driving for 05 years (d) Knowledge of motor mechanic. Desirable: (a) At least 04 years experience of driving an LMV. (b) Experience of, at least, six months of minor repairs.	75% by direct recruitment and 25% by promotion from Cleaner with 05 years service failing which by direct recruitment.
5	Chief Mechanic	01	Level:5	35 years	Matriculation with Trade Course from a	By promotion from Assistant Mechanic

				for direct recruit	recognized institution and 05 years experience.	possessing requisite qualifications and 05 years service failing which by direct recruitment.
6	Assistant Mechanic	01	Level:2	35 years for direct recruit	Matriculation with Trade Course from a recognized institution and 02 years experience.	By promotion from Cleaners possessing requisite qualifications and 05 years service failing which by direct recruitment.
7	Despatch Rider	09	Level:2	18-27 years for direct recruits	Essential: (a) 10 th Class (b) Possession of valid TSR (Three –Seater Auto Rickshaw) driving licence. (c) At least 02 years experience and proficiency in driving two and three wheelers. Desirable: Knowledge of mechanism of two and three wheeler.	By selection from Cleaners, employees of Secretariat and Household Establishment possessing requisite qualifications and experience and 05 years service failing which by direct recruitment.
8	Cleaner	03	Level:1	18-27 years	Essential: 10 th pass with one year relevant experience. Desirable: Trade certificate in Motor Mechanism from ITI/recognized Institution.	By direct recruitment.
9	Chief Telephone Attendant	01	Level:6	-	-	By promotion from Head Telephone Attendant with 02 years service or from Senior Telephone Attendant with 04 years service on selection basis.
10	Head Telephone Attendant	01	Level:5	-	-	By promotion from Senior Telephone Attendant with 03 years service or from Telephone Attendant with 05 years service on selection basis.
11	Senior Telephone Attendant	01	Level:4	-	-	By promotion from Telephone Attendant with 05 years service on selection basis.
12	Telephone Attendant	02	Level:2	18-27 years for direct recruit	Matriculation	By promotion/transfer from Household/Secretariat employees holding posts below the scale of Rs.3050-4590 possessing requisite qualification and 05 years service failing which by direct recruitment.
	SANITARY					

SERVICES						
1	Chief Safaiwala	01	Level:5	-	-	By promotion from Head Safaiwala Jamadar with 03 years service on selection basis.
2	Head Safaiwala Jamadar	02	Level:4	-	-	By promotion from Safaiwala Jamadar with 04 years service on selection basis.
3	Safaiwala Jamadar	08	Level:3	-	-	By promotion from Senior Safaiwala with 05 years service on selection basis.
4	Senior Safaiwala	50	Level:2	-	-	By promotion from Safaiwala/Bhisti with 05 years service on selection basis.
5	MTS Safaiwala	89	Level:1	18-27 years	10+2 or equivalent from a recognized Board with basic knowledge of computers.	By direct recruitment.
6	Bhisti	01	Level:1	18-27 years	10 th Pass.	By direct recruitment.
ART SERVICE						
1	Educational Officer	02	Level:10	Upper age 45 years	<p>(a) Deputation (i) Master's degree in History from a recognized University with specialization in Modern Indian History OR Master's degree in Museology/Heritage Management from the recognized University/Institute. AND (ii) 03 years experience in a Museum under the control of Central/State Government or State Legislature Secretariats or Central/State Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies, being conversant with various facets of Museum-related work, including use of latest IT Techniques for planning and maintenance of Museums.</p> <p>(b) Direct Recruitment: (i) Master's degree in History from a recognized University with specialization in</p>	By selection of persons on deputation basis from a Museum under the control of Central/State Government or State Legislature Secretariats or Central/State Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies failing which by Direct Recruitment. The period of deputation shall be initially for 03 years on usual terms and conditions of deputation in accordance with the instructions consolidated by DoPT vide their Om No.6/8/2009-Estt(Part-II) dated 17.06.2010.

					Modern Indian History OR Master's degree in Museology/Heritage Management from the recognized University/Institute. AND (ii) 03 years experience in a reputed Museum, being conversant with various facets of Museum-related work, including use of latest IT Techniques for planning and maintenance of Museums.	
2	Technical Assistant	01	Level:7	Upper age limit 45 years	(a) <u>Deputation:</u> (i) Diploma in Electronics or Computer Sciences from a recognized University/Institute. AND (ii) 02 years experience in operation, repair and maintenance of Computers, Projectors and other electronics equipments. (b) <u>Direct Recruitment:</u> (i) Diploma in Electronics or Computer Sciences from a recognized University/Institute. AND (ii) 02 years experience in operation, repair and maintenance of Computers, Projectors and other electronics equipments.	By selection of persons on deputation basis from a Museum under the control of Central/State Government or State Legislature Secretariats or Central/State Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies, fulfilling the required conditions failing which by Direct Recruitment. The period of deputation shall be initially for 03 years on usual terms and conditions of deputation in accordance with the instructions consolidated by DoPT vide their OM No.6/8/2009-Estt(Part-II) dated 17.06.2010.
3	Artists Grade-I	02	Level:6	-	Matriculation with Diploma in Arts from a recognized Institution.	By promotion from Artists Grade-II with 5 years service on selection basis failing which by direct recruitment.
4	Artists Grade-II	02	Level:4	18-27 years	Matriculation with Diploma in Arts from a recognized Institution/Trade Course Certificate.	By promotion from Senior Helper/Attendant with 5 years experience and possessing requisite qualification failing which by direct recruitment.
5	Museum Assistant	01	Level:1	18-27 years	Matriculation with experience of working in relevant field.	By direct recruitment.
6	Museum Attendant	13	Level:1	18-27 years	12 th Pass and attendance/participation in the museum related workshop/courses held by reputed organizations.	By direct recruitment.

7	Senior Helper/Attendant	01	Level:3	-	Matriculation with experience of working in relevant field.	By promotion from Helper/Attendant Grade-I with 5 years service on selection basis.
8	Helper/Attendant Grade-I	01	Level:2	-	Matriculation.	By promotion from Junior Helper/Attendant Grade-II with 5 years service on selection basis.
9	Junior Helper/Attendant Grade-II	01	Level:1	18-27 years	Matriculation with experience of working in relevant field.	By direct recruitment.
10	Laboratory Attendant	01	Level:2	18-27 years	Matriculation with experience of working in relevant field.	By direct recruitment.

Recruitment Rules for Garden (Work-charged) Establishment of President's Gardens (New Delhi, Bolarum & Mashobra)

Sl No.	Category	No. of posts	Pay Level	Age Limit	Qualification	Method of recruitment
1	Chowdhary	11	Level:2	-	-	By promotion from Senior Malis with 05 years service on selection basis.
2	Carpenter	01	Level:2	18-27 years	Essential: 12 th Pass Desirable: Trade Course from a recognized Institution.	By direct recruitment.
3	Tractor Operator	02	Level:2	18-27 years	Essential: (a) Matriculation (b) Possession of valid driving licence. Desirable: Trade Course from a recognized Institution. Desirable: Trade Course from a recognized Institution.	By direct recruitment.
4	Assistant Fitter	01	Level:2	18-27 years	Essential: 12 th Pass Desirable: Trade Course from a recognized Institution.	By direct recruitment.
5	Assistant Blacksmith	01	Level:2	18-27 years	Essential: 12 th Pass Desirable: Trade Course from a recognized Institution.	By direct recruitment.
6	Storeman	01	Level:1	18-27 years	Essential: Matriculation Desirable: Matriculation with experience in Store-keeping.	By promotion from Malis possessing requisite qualification on selection basis failing which by direct recruitment.
7	Senior Mali	62	Level:2	-	-	By promotion from Malis with 05 years satisfactory service.
8	Mali-cum-Forest Guard	01	Level:1	18-27 years	Essential: Matriculation and possessing a valid licence for use of Gun.	By direct recruitment.
9	Mali Grade-III	213	Level:1	18-30 years	Educational Qualification: Matriculation Skill Qualification: Gardner National Skill Qualification	By direct recruitment.

				<p>Certificate (NSQF) Level-4 Certificate given by Agriculture Sector Skill Council of India (ASCI) or any other NSQF approved governing body.</p> <p>OR</p> <p>Gardner Training Certificate from IARI or any other Agriculture or Horticulture University/Government Institution with training duration of minimum 01 month.</p> <p>Experience: Should possess a minimum of two years work experience in the Trade.</p> <p>Note: Preference shall be given to those candidates who have worked for two years or more in a Central/State Government Nursery.</p>	
--	--	--	--	---	--

regulations (iii) Must have good knowledge of petrol and diesel Engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects.	2. Scientist 'C' (Control and Procurement Cell) (Civil or Mechanical) Central Water and Power Research Station - Member
(iv) Must be able to clear carburetor plug, etc.	3. Chief Administrative Officer or Administrative Officer, Central Water and Power Research Station - Member

(13)
Not applicable

[F. No. A-12018/53/2017-E.II]

AMIT KUMAR SINGH, Under Secy.

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2017

राष्ट्रपति सचिवालय नियमावली (भर्ती और सेवा शर्तें) 2017

सा.का. नि. 55.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2007 संशोधित करते हैं और राष्ट्रपति सचिवालय में निम्नलिखित पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती का तरीका और सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले निम्नलिखित संशोधित नियम बनाते हैं अर्थात् –

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

- क) इन नियमों को राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2017 कहा जाएगा।
ख) ये नियम 02 जून, 2017 से प्रवृत्त मान्य होंगे।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

- क) “प्रतिनियुक्ति” का अर्थ किसी अधिकारी की सेवाओं का सचिवालय में और सचिवालय से किसी अन्य कार्यालय में अस्थायी स्थानांतरण से है, जहां स्थानांतरण की शर्तें समय-समय पर यथासंशोधित भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तारीख 17 जून, 2010 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009- स्था. (वेतन II) में उल्लिखित केंद्र सरकार के आदेशों के अधीन विनियमित की जाती है।
ख) “अधिकारी” का अर्थ सचिवालय में नियुक्त अथवा सचिवालय के काडर के व्यक्ति से है।
ग) “पद” का अर्थ सचिवालय में पद से है और इसमें निम्नलिखित शामिल है :-
(i) अनुसूची -I में यथाविनिर्दिष्ट सिविल पद;
(ii) अनुसूची -II में यथाविनिर्दिष्ट सह विस्तारी पद; और
(iii) अनुसूची III में यथाविनिर्दिष्ट और सचिवालय में ड्यूटी के लिए तैनात रक्षा सेवाओं के अधिकारी द्वारा धारित सावधिक पद।
घ) “राष्ट्रपति” का अर्थ भारत के राष्ट्रपति से है।
ङ) “अनुसूची” का अर्थ इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है।
च) “सचिवालय” का अर्थ राष्ट्रपति सचिवालय से है और इसमें राष्ट्रपति संपदा (प्रेसीडेंट) के उद्यानों में कार्यरत नियमित स्थापना के कर्मचारी शामिल हैं किंतु निम्नलिखित कर्मचारी शामिल नहीं हैं :-
(i) सचिवालय की गृह प्रबंधन स्थापना के कर्मचारी और
(ii) राष्ट्रपति संपदा के उद्यानों की कार्यभारित स्थापना के कर्मचारी।

3. निम्नलिखित पदों के नाम, वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल :-

- (क) इसके साथ पदों का नाम, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न पे मैट्रिक्स में लेवल, अनुसूची I, II और III में यथाविनिर्दिष्ट होंगा।

परंतु नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर इस संबंध में केंद्र सरकार के आदेशानुसार किसी भी पद के वर्गीकरण अथवा पे मैट्रिक्स में लेवल, किसी अधिकारी के पे मैट्रिक्स में लेवल में आशोधन अथवा परिवर्तन कर सकता है।

- (ख) अनुसूची I, II और III में विनिर्दिष्ट स्थायी और अस्थायी पदों की संख्या वही होगी जो मंजूरी के साथ वर्ष के बजट में शामिल है।

4. **सह विस्तारी पद.**— अनुसूची II में विनिर्दिष्ट पद राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पदधारियों द्वारा मान्य हैं और ये प्रत्येक राष्ट्रपति के साथ सह विस्तारी होंगे। सचिवालय में या राष्ट्रपति सचिवालय की गृह प्रबंधन स्थापना में सह विस्तारी पद पर नियुक्त व्यक्ति राष्ट्रपति सचिवालय में आमेहन अथवा नियमित नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे; तथापि यदि ऐसे पदधारी अन्यथा सभी निर्धारित शर्तों और अर्हताओं (आयु सहित) को पूरा करते हैं तो वे सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ समान आधार पर प्रतिस्पर्धा के लिए पात्र होंगे।

5. **ऐसे पद, जिनके लिए भुगतान रक्षा आकलनों से किया जाता है.**— अनुसूची III में विनिर्दिष्ट पद रक्षा सेवाओं के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत मान्य हैं जिन पर उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले सभी मामलों में वे नियम लागू होंगे जो रक्षा सेवाओं में तदुनुरूप रैंक के अधिकारियों पर लागू होते हैं और ये ऐसे आशोधनों के अधीन होंगे जिन्हें राष्ट्रपति सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

6. **नियुक्ति प्राधिकारी.**— इन पदों पर नियुक्तियां उपरोक्त अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट संबंधित प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी।

7. **भर्ती की तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— पदों पर भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले अनुसूची I, II, III और IV में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

8. **सीधी भर्ती.**— जहाँ अनुसूची I में विनिर्दिष्ट पद के संबंध में भर्ती का तरीका सीधी भर्ती है —

(क) अनुसूची में संबंधित पद के तहत विनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति चयन बोर्ड के रूप में कार्य करेगी।

(ख) खंड (क) के तहत चयन बोर्ड अनुसूची III क में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

9. **पदोन्नति :-** जहाँ अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद के संबंध में भर्ती का तरीका पदोन्नति द्वारा है —

(क) उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन और नियम 14 क उपबंधों के अधीन भर्ती निम्न प्रकार से की जाएगी -

- (i) समूह क अथवा समूह ख (राजपत्रित) के किसी पद पर पदोन्नति के मामले में वरिष्ठता को ध्यान में रखे बिना चयन आधार पर भर्ती की जाएगी।
- (ii) किसी अन्य पद पर पदोन्नति के मामले में अचयन आधार पर भर्ती की जाएगी।
- (ख) यथाविनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे पदों पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगी और उक्त समिति अनुसूची – IV में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करेगी।

टिप्पणी : “जहां कनिष्ठों, जो कि अर्हक या पात्रता सेवा कर चुके हैं, पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा विहित अर्हक या पात्र सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से अधिक, जो भी कम हो, से कम न हो और उन कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ-साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो जिन्होंने उक्त अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।”

10. प्रतिनियुक्ति और आमेलन.—जब कोई अधिकारी इस सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर आता है या उसका आमेलन होता है तो उस पर समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित प्रतिनियुक्ति या आमेलन की शर्तें लागू होंगी अथवा जहां कहीं आवश्यक हो, वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके उसके मूल कार्यालय और सचिवालय के बीच यथास्वीकृत शर्तें लागू होंगी।

11.(1) वरिष्ठता – (क) सीधी भर्ती.—जब तक कि नियुक्ति आदेश में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, सभी सीधी भर्ती के पदधारियों की सापेक्ष वरिष्ठता उस योग्यता क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी जिसमें ऐसी नियुक्ति के लिए उनका चयन किया गया है।

परंतु यह भी कि किसी पद पर नियमित रूप से नियुक्त व्यक्ति की वरिष्ठता प्रारंभिक नियुक्ति के समय दर्शाए गए योग्यता क्रम में निर्धारित की जाएगी, स्थायीकरण की तारीख से नहीं।

(ख) **पदोन्नति.**—

- (i) चयन पदों पर पदोन्नत व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता ऐसी पदोन्नति के लिए चयन के क्रम में निर्धारित की जाएगी।
- (ii) अचयन पदों पर पदोन्नत व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जाएगी जिस क्रम में ऐसे व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया है।

परंतु यदि ऐसे पदों पर एक ही दिन कई व्यक्तियों को पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता उस निचले ग्रेड में उनकी सापेक्ष वरिष्ठता के समान होगी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

परंतु यह भी कि यदि प्रारंभ में अस्थायी आधार पर पदोन्नत व्यक्तियों को बाद में उनकी पदोन्नति के समय दर्शाए गए योग्यता क्रम से भिन्न क्रम में स्थायी किया जाता है तो उनकी वरिष्ठता प्रारंभिक नियुक्ति के समय दर्शाए गए क्रम में निर्धारित की जाएगी, स्थायीकरण की तारीख से नहीं।

- (ग) **प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन.**— प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा नियुक्ति के मामले में व्यक्ति की वरिष्ठता समकक्ष पद में उसकी सेवावधि और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए आमेलन की तारीख से निर्धारित की जाएगी।
- 11(2). उप नियम (1) के उपबंध इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को अथवा उसके बाद की गई सभी नियुक्तियों पर लागू होंगे और सचिवालय में उस तारीख से पहले किसी भी ग्रेड में नियुक्त व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता उस समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
12. **परिबीक्षा और स्थायीकरण.**—(क) सचिवालय में किसी भी पद पर सीधी भर्ती से या पदोन्नति से नियुक्त अभ्यर्थी अनुसूची I में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए परिबीक्षा पर रहेंगे।

परंतु नियुक्ति प्राधिकारी स्वविवेक से उक्त अवधि का परिकलन करने के लिए निम्नलिखित को हिसाब में ले सकता है :-

- (i) अभ्यर्थी द्वारा समकक्ष पदों पर अथवा उच्चतर जिम्मेदारी वाले पदों पर की गई सेवावधि,
- (ii) किसी भी पद पर पदोन्नत व्यक्ति के मामले में उस पद पर उसके द्वारा की गई स्थानापन्न सेवा की अवधि :

परंतु यह भी कि किसी व्यक्ति विशेष अथवा पद के मामले में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के आदेश से परिबीक्षावधि बढ़ाई जा सकती है।

परंतु यह भी कि नियुक्ति प्राधिकारी परिबीक्षावधि के संतोषजनक ढंग से पूरा करने की शर्त के रूप में परिबीक्षावधि के दौरान अभ्यर्थी से ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने और ऐसी परीक्षाएं पास करने की अपेक्षा कर सकता है, जो वह उचित समझे।

- ख) परिबीक्षा अवधि पूरी करने के उपरांत यदि अभ्यर्थी को स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो उसे उसके सेवाकाल में केवल एक बार प्रवेश के समय ग्रेड वाले पद पर स्थायी किया जाएगा।
- ग) यदि परिबीक्षा अवधि या बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने पर या परिबीक्षा अवधि के दौरान, जैसी भी स्थिति हो, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह मानना हो कि यह अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो वह बिना कोई कारण बताए उस कर्मचारी को कार्यमुक्त कर सकता है या उसे उसके पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित कर सकता है या इस संबंध में उपयुक्त समझे अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

13. सेवा शर्तें .—

- क) **सामान्य .**— अधिकारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के जिन विषयों के लिए इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं उनके संबंध में इन नियमों में केंद्रीय सचिवालय के समान लेवल में समान वेतन मैट्रिक्स का पद धारित करने वाले अधिकारियों पर लागू होने वाले नियम लागू होंगे परंतु यह राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर इन नियमों में आदेश द्वारा किए आशोधन, परिवर्तन या अपवर्जन के अध्याधीन होंगे, यदि कोई किए गए हों।
- ख) **स्थानांतरण .**— प्रत्येक कर्मचारी को भारत में किसी भी स्थान पर विशेष रूप से द रिट्रीट, मशोबरा, शिमला और राष्ट्रपति निलयम, बोलारम, सिकंदराबाद, हैदराबाद और ऐसे स्थानों पर तैनात किया जा सकता है जहां तत्समय राष्ट्रपति का अधिष्ठापन हो।

- ग) **आचरण** .— प्रत्येक अधिकारी केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 समय-समय पर यथा संशोधित या ऐसी अन्य संगत नियमावली द्वारा शासित होगा जो उस सेवा पर लागू होती हो जिसका वह सदस्य है।
- घ) **अनुशासन और नियंत्रण** .— प्रत्येक अधिकारी केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमावली), 1965, समय-समय पर यथासंशोधित या ऐसी अन्य संगत नियमावली द्वारा शासित होगा जो उस सेवा पर लागू होती हो जिसका वह सदस्य है।
- ङ) **अस्थायी अधिकारी** .—प्रत्येक अस्थायी अधिकारी केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965, समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा शासित होगा।
14. **व्यावृत्ति** .—इन नियमों में उपबंधित किसी भी बात का अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों अन्य विशिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार प्रदत्त आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
15. **विनियम** .— राष्ट्रपति उन सभी मामलों के संबंध में इन नियमों के संगत नियम बना सकते हैं जो इन नियमों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए इनमें उपबंध करना आवश्यक या समीचीन हो।
16. **शिथिल करने की शक्ति** .—यदि राष्ट्रपति का यह मानना हो कि किसी अधिकारी के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के प्रावधानों में छूट देना लोक हित में आवश्यक या समीचीन है तो राष्ट्रपति आदेश जारी करके नियमों को शिथिल कर सकते हैं जब कभी इन नियम का आश्रय लेते हुए कोई कार्रवाई की जाती है तो इसके कारणों को रिकार्ड किया जाए।
17. **व्याख्या** .—इन नियमों की व्याख्या से संबंधित विवादों को निर्णय के लिए राष्ट्रपति के समक्ष भेजा जाएगा।
18. **निरसन और व्यावृत्ति** .—
- क) इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इन नियमों से संगत तथा इन संशोधित नियमों के लागू होने से तत्काल पहले लागू होने वाले सभी नियमों और आदेशों को निरस्त किया जाता है।
- ख) इस निरसन के होते हुए भी इन निरसित नियमों और आदेशों के तहत किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के संगत उपबंधों के तहत की गई मानी जाएगी।

विषय सूची

अनुसूची I – पृष्ठ संख्या 11 से 95

(राष्ट्रपति सचिवालय में सिविल अनुमानों से वेतन प्राप्त करने वाले पद-भर्ती का तरीका)

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	पे मैट्रिक्स में लेवल	पृष्ठ संख्या
सामान्य केंद्रीय सेवा , समूह "क" - राजपत्रित				
1.	राष्ट्रपति के सचिव	1	लेवल 17 (₹ 225000/-)	12
2.	राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव	1	लेवल -14 (₹144200 - ₹218200)	13
3.	राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव-सह-सामाजिक सचिव	1	लेवल -14 (₹144200 - ₹218200)	14
4.	राष्ट्रपति के चिकित्सक	1	लेवल -14 (₹144200 - ₹218200)	15

5	राष्ट्रपति के निदेशक/ उप सचिव	2	लेवल -13(₹123100-₹215900) लेवल -12(₹78800-₹209200)	16
6.	आंतरिक वित्तीय सलाहकार	1	लेवल -13(₹123100-₹ 215900)/ लेवल -12(₹78800-₹209200)	18
7	राष्ट्रपति के प्रेस सचिव	1	लेवल -13(₹123100-₹215900)	19
8.	राष्ट्रपति के उप प्रेस सचिव	1	लेवल -12(₹78800-₹209200)	20
9.	नियंत्रक, राष्ट्रपति के गृह प्रबंधन	1	लेवल -12(₹78800-₹209200)	21
10	संयुक्त निदेशक	1	लेवल -12(₹78800-₹209200)	22
11	अवर सचिव	6	लेवल -11(₹67700-₹ 208700)	24
12	राष्ट्रपति के उप चिकित्सक	1	लेवल -11(₹67700-₹ 208700)	25
13	अधीक्षक, राष्ट्रपति उद्यान	1	लेवल -11(₹67700-₹ 208700)	26
14	प्रधान निजी सचिव	2	लेवल -11(₹67700-₹ 208700)	27
15	उप निदेशक	1	लेवल -11(₹67700-₹ 208700)	28
16	जन संपर्क अधिकारी	1	लेवल -11(₹67700-₹ 208700)	30
17.	क्यूरेटर	1	लेवल -10(₹56100-₹ 177500)	32
18.	तकनीकी अधिकारी	1	लेवल -10(₹56100-₹ 177500)	34
19	स्वागत अधिकारी	1	लेवल -10(₹56100-₹177500)	36
सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह "ख" - राजपत्रित				
20	अनुभाग अधिकारी	24	लेवल -8(₹ 47600-₹151100)	38
21	निजी सचिव	9	लेवल -8(₹ 47600-₹151100)	39
22	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	1	लेवल -7 (₹ 44900-₹ 142400)	41
23	फोटोग्राफिक अधिकारी	1	लेवल -7 (₹44900-₹142400)	43
24	वरिष्ठ तकनीकी रेस्टोरर	1	लेवल -7 (₹44900-₹142400)	45
सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह "ख" - अराजपत्रित				
25	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	1	लेवल -8(₹47600-₹151100)	47
26.	जन स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी	1	लेवल -8(₹47600-₹151100)	48
27	आशुलिपिक ग्रेड-सी	7	लेवल -7 (₹44900-₹142400)	49
28	सहायक अनुभाग अधिकारी	53	लेवल -7 (₹44900-₹142400)	51
29	नर्सिंग अधिकारी	1	लेवल -7 (₹44900-₹142400)	52
30	सुपरवाइजर, टेलीफोन एक्सचेंज	1	लेवल -7 (₹44900-₹142400)	53
31	सहायक क्यूरेटर	1	लेवल -7 (₹44900-₹142400)	54
32	वरिष्ठ शिक्षा सहायक	1	लेवल -7 (₹44900-₹142400)	56
33	कनिष्ठ फोटोग्राफर	1	लेवल - 6 (₹35400-₹112400)	58
34	तकनीकी सहायक	1	लेवल - 6 (₹35400-₹112400)	60
35	शिफ्ट सुपरवाइजर	2	लेवल - 6 (₹35400-₹112400)	61
36	अनुभागीय अधिकारी(बागवानी)	3	लेवल - 6 (₹35400-₹112400)	62
सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह "ग"				
37	फार्मासिस्ट	3	लेवल - 5 (₹29200-₹92300)	63
38	प्रोडक्शन सहायक	1	लेवल - 5 (₹29200-₹92300)	65
39	रिसेप्शनिस्ट ग्रेड-I	1	लेवल - 5 (₹29200-₹92300)	68
40	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	37	लेवल - 4 (₹25500-₹81100)	69
41	आशुलिपिक ग्रेड 'डी'	1	लेवल - 4 (₹25500-₹81100)	70

42	टेलीफोन आपरेटर ग्रेड-I	5	लेवल - 4 (₹25500-₹81100)	72
43	कनिष्ठ फोटो सहायक	1	लेवल - 4 (₹25500-₹81100)	74
44	सैनिटरी सुपरवाइजर	1	लेवल - 4 (₹25500-₹81100)	76
45	रिसेप्शनिस्ट ग्रेड-II	2	लेवल - 4 (₹25500-₹81100)	78
46	टेलीफोन आपरेटर ग्रेड-II	5	लेवल - 2(₹19900-₹63200)	79
47	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	38	लेवल - 2(₹19900-₹63200)	81
48	सैनिटरी फिटर	1	लेवल - 2(₹19900-₹63200)	83
49	रिकार्ड कीपर	4	लेवल - 2(₹19900-₹63200)	86
50	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम. टी. एस.)	69	लेवल - 1 (₹18000-₹56900)	88
51	एंटी मलेरिया-सह-मल्टी टास्किंग स्टाफ	19	लेवल - 1 (₹18000-₹56900)	90
52	मेडीकल फीमेल अटेंडेंट-सह- मल्टी टास्किंग स्टाफ	2	लेवल - 1 (₹18000-₹56900)	92
53	चौकीदार	3	लेवल -1 (₹18000-₹56900)	94

अनुसूची II पृष्ठ संख्या 96 से 98

(25.07.2012 से राष्ट्रपति सचिवालय में सहविस्तारी पद (को टर्मिनस पद) – प्रत्येक राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान मान्य)

अनुसूची – III पृष्ठ सं. 99 से 103

(राष्ट्रपति सचिवालय में पद जिनका भुगतान रक्षा - अनुमान से किया जाता है)

अनुसूची – III-क पृष्ठ सं. 104

(चयन बोर्ड का गठन और इसके कार्य)

अनुसूची – IV पृष्ठ सं. 105 से 107

(अनुसूची – I में दिए गए विभिन्न पदों के तहत विभागीय पदोन्नति समिति के कार्य)

अनुसूची – V पृष्ठ सं. 108 से 111

(राष्ट्रपति सचिवालय में वरिष्ठ सचिवालय सहायक - परीक्षा (सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा संबंधी विनियम)

“अनुसूची – I”

राष्ट्रपति सचिवालय में सिविल अनुमानों से वेतन प्राप्त करने वाले पद – भर्ती का तरीका

नियम 2 (ग) (i) देखें

	क्र. सं.	(1)
(1)	पद का नाम	राष्ट्रपति के सचिव
(2)	पदों की संख्या	1* [2017]

	क्र. सं.	(1)
		* कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क'
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 17 (₹ 225000/-)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	केंद्रीय सरकार में सचिव या केंद्रीय सरकार में सचिव का पद धारण करने के पात्र अधिकारी
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	लागू नहीं
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी : राष्ट्रपति

अभ्युक्ति: पदधारी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर बने रहेंगे।

	क्र. सं.	(2)
(1)	पद का नाम	राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव
(2)	पदों की संख्या	1* [2017] * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क'
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 14 (₹ 144200 -₹ 218200).
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं

	क्र. सं.	(2)
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	केंद्रीय सरकार में संयुक्त सचिव या केंद्रीय सरकार में संयुक्त सचिव का पद धारण करने के पात्र अधिकारी
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	लागू नहीं
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी : राष्ट्रपति

अभ्युक्ति: पदधारी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर बने रहेंगे।

	क्र. सं.	(3)
(1)	पद का नाम	राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव-सह-सामाजिक सचिव
(2)	पदों की संख्या	1* [2017] * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क'
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 14 (₹ 144200 - ₹ 218200).
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	केंद्रीय सरकार में भारतीय विदेश सेवा के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी या केंद्रीय सरकार में संयुक्त सचिव का पद धारण करने के पात्र भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	लागू नहीं
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी : राष्ट्रपति

अभ्युक्ति: पदधारी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर बने रहेंगे।

	क्र. सं.	4
(1)	पद का नाम	राष्ट्रपति के चिकित्सक
(2)	पदों की संख्या	1* [2017] * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क'
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 14 (₹144200-₹218200) के साथ ही यथा लागू प्रैक्टिस बंदी भत्ता (सेना में नियुक्त व्यक्ति का पे मैट्रिक्स में अपना लेवल होगा और यथा स्वीकार्य प्रैक्टिस बंदी भत्ता मिलेगा)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा जो समान पद धारण करते हों या लेवल 14 (₹144200-₹ 218200) में परामर्शदाता के पद पर नियुक्त किए जाने के पात्र हों या सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के समतुल्य रैंक के अधिकारी।
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	लागू नहीं
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी : राष्ट्रपति

अभ्युक्ति: पदधारी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर बने रहेंगे।

	क्र. सं.	5
(1)	पद का नाम	राष्ट्रपति के निदेशक / उप सचिव
(2)	पदों की संख्या	2* [2017] * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।

(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क'
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	निदेशक / उप सचिव के पद या तो निदेशक लेवल [लेवल 13 (₹123100-₹215900)] के या उप सचिव लेवल [लेवल 12 (₹78800-₹209200)] के हो सकते हैं।
(5)	चयन पद है या अचयन पद	चयन
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	निदेशक के स्तर पर, यदि पदोन्नति द्वारा भरा जाता है, तो राष्ट्रपति सचिवालय में उप सचिव के ग्रेड में नियमित आधार पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके उप सचिव की पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। यदि प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाता है तो केंद्रीय सरकार के निदेशक, उप सचिव से या इस पद पर नियुक्त किए जाने के पात्र व्यक्तियों से भरा जाएगा। यदि उप सचिव की नियुक्ति की जानी हो तो राष्ट्रपति सचिवालय में अवर सचिव के ग्रेड में नियमित आधार पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अवर सचिव की पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। यदि प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाता है तो केंद्रीय सरकार के उप सचिव से या इस पद पर नियुक्त किए जाने के पात्र व्यक्तियों से भरा जाएगा।
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	निदेशक के लिए राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव और राष्ट्रपति के सचिव द्वारा यथा नामित संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी उप सचिव के लिए राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव और राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव-सह-सामाजिक सचिव।
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी : राष्ट्रपति

	क्रम संख्या	6
(1)	पद का नाम	आंतरिक वित्तीय सलाहकार
(2)	पदों की संख्या	1 *[2017] * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क'
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	आंतरिक वित्तीय सलाहकार का पद या तो निदेशक लेवल [लेवल 13 (₹123100-₹215900)] के या उप सचिव लेवल [लेवल 12 (₹78800-₹209200)] के हो सकते हैं।
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	किसी भी संगठित लेखा सेवा में सदृश पद वाले समूह 'क' अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	लागू नहीं
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी : राष्ट्रपति

	क्रम संख्या	7
(1)	पद का नाम	राष्ट्रपति के प्रेस सचिव
(2)	पदों की संख्या	1 * [2017] * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क'
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 13 (₹123100 – ₹215900)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य	मीडिया / जनसंपर्क एवं पत्रकारिता में अनुभव के साथ किसी

	अर्हताएं	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	लागू नहीं
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	लागू नहीं
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी : राष्ट्रपति

अभ्युक्ति: पदधारी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर बने रहेंगे।

	क्रम संख्या	8
(1)	पद का नाम	राष्ट्रपति के उप प्रेस सचिव
(2)	पदों की संख्या	1 * [2017] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क'
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 12 (₹78,800 – ₹209200)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	मीडिया / जनसंपर्क एवं पत्रकारिता में अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	लागू नहीं
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	लागू नहीं
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी : राष्ट्रपति

अभ्युक्ति: पदधारी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर बने रहेंगे।

	क्रम संख्या	9
(1)	पद का नाम	नियंत्रक, राष्ट्रपति के गृह प्रबंधन
(2)	पदों की संख्या	1 * [2017] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क'
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 12 (₹78,800 – ₹209200) (सेना में नियुक्त व्यक्ति का पे मैट्रिक्स में अपना लेवल होगा और यथा स्वीकार्य सेना सेवा वेतन और भत्ता मिलेगा)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	किसी होटल प्रतिष्ठापना में 5 वर्ष के अनुभव के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समकक्ष ग्रेड पर कार्यरत अधिकारियों कैटरिंग क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव सशस्त्र सेना के कर्मचारी अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव एवं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी : राष्ट्रपति

अभ्युक्ति: पदधारी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर बने रहेंगे।

	क्रम संख्या	10
(1)	पद का नाम	संयुक्त निदेशक
(2)	पदों की संख्या	1 * [2017] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय

(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 12 (₹78,800 – ₹209200)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	चयन
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	<p>प्रतिनियुक्ति के लिए</p> <p>केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य शासित क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध सरकारी या सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों में कार्यरत अधिकारियों में से जो कि –</p> <p>(i) अपने मूल संवर्ग विभाग में तीन वर्ष के अनुभव सहित नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्यरत हो, या</p> <p>(ii) लेवल 11 (₹67700 – ₹208700) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात धारित ग्रेड में पांच वर्ष का सेवाकाल; और निम्नलिखित योग्यताओं एवं अनुभव के साथ मौजूदा संवर्ग में सदृश लेवल पर कार्यरत हो –</p> <p>(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से आधुनिक भारत के इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त या संग्रहालय विज्ञान / हैरिटेज प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त और</p> <p>(ii) ऐसे प्रतिष्ठित संग्रहालय में सहायक संग्रहाध्यक्ष/ संग्रहपाल की सहायता करने का दस वर्ष का व्यावहारिक अनुभव जो सूचना संग्रहण, प्रलेखन, अनुसंधान, प्रसार, प्रदर्शी एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को अद्यतन व विकसित करने संबंधी कार्य करता हो और संग्रहालयों में नवीनतम आईटी तकनीकों का अनुप्रयोग करता हो।</p> <p>टिप्पणी 1 : केन्द्र सरकार के संगठनों / विभागों में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

		<p>टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p>टिप्पणी 3 : अपेक्षित योग्यता एवं अनुभव वाले विभागीय उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।</p> <p>पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव वाले व्यक्तियों को समेकित पारिश्रमिक पर अनुबंध दिया जा सकता है। अनुबंध अवधि का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।</p>
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	लागू नहीं
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी : राष्ट्रपति

	क्रम सं.	11
(1)	पद का नाम	अवर सचिव
(2)	पदों की संख्या	6*[2017] * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क'
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 11(₹67700-₹208700)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	चयन
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न कर पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में उन अनुभाग अधिकारियों की पदोन्नति जिन्होंने इस ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में केन्द्रीय सचिवालय में नियमित अवर सचिव रैंक या राज्य सरकार में समकक्ष रैंक या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उन नियमित अनुभाग अधिकारियों में से, जिन्होंने इस ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है।

(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव, आंतरिक वित्तीय सलाहकार और निदेशक / उप सचिव
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी: राष्ट्रपति

	क्रम सं.	12
(1)	पद का नाम	राष्ट्रपति का उप-चिकित्सक
(2)	पदों की संख्या	1* [2017] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क'
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 11(₹67700-₹208700) और यथा अनुमेय प्रैक्टिस बंदी भत्ता
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के लेवल 11(₹67700-₹208700) में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी रैंक के अधिकारियों या वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र अधिकारियों में से, जिनके पास आयुर्विज्ञान (मेडिसिन) में स्नातकोत्तर डिग्री या इस क्षेत्र में समकक्ष डिग्री और मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्था में 7 वर्ष का अनुभव है, या संगत रैंक के उपयुक्त सशस्त्र सेनाओं के चिकित्सा सेवा के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव, राष्ट्रपति के चिकित्सक और निदेशक / उप सचिव
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी: राष्ट्रपति

	क्रम सं.	13
(1)	पद का नाम	अधीक्षक, राष्ट्रपति उद्यान
(2)	पदों की संख्या	1* [2017] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क'
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 11(₹67700-₹208700)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	चयन
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	पदोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	(i) पदोन्नति : अनुभाग अधिकारी (बागवानी) से जिनकी 10 वर्ष की अर्हक सेवा हो। (ii) प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के बागवानी विभाग में लेवल 11(₹67700-₹208700) में उप-निदेशक के सदृश पद धारण करने वाले अधिकारियों या राज्य सरकार, सरकारी स्वायत्त निकायों में समकक्ष ग्रेड के अधिकारियों में से, जिनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि (डिग्री) और बागवानी कार्य का 5 वर्ष का अनुभव है, प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव, आंतरिक वित्तीय सलाहकार और निदेशक / उप सचिव
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी: राष्ट्रपति

	क्रम सं.	14
(1)	पद का नाम	प्रधान निजी सचिव
(2)	पदों की संख्या	2* [2017] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क'
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 11(₹67700-₹208700)

(5)	चयन पद है या अचयन पद	चयन
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष।
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न कर पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	उन निजी सचिवों में से पदोन्नति जिन्होंने इस ग्रेड में निजी सचिव के रूप में 6 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति के मामले में केन्द्रीय सचिवालयी आशुलिपिक सेवा में प्रधान निजी सचिव रैंक या केन्द्रीय सचिवालयी आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव रैंक के अधिकारियों में से चयन जिन्होंने उस ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है।
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव, आंतरिक वित्तीय सलाहकार और निदेशक / उप सचिव
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी: राष्ट्रपति

	क्रम सं.	15
(1)	पद का नाम	उप-निदेशक
(2)	पदों की संख्या	1* [2017] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 11(₹67700-₹208700)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	चयन
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	पदोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न कर पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

	तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	<p>पदोन्नति: राष्ट्रपति सचिवालय में लेवल 10 (₹56100- ₹177500) में क्यूरेटर/ शिक्षा अधिकारी में से पदोन्नति जिन्होंने इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है और जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-</p> <p>(i) आधुनिक भारतीय इतिहास के ज्ञान सहित इतिहास में मास्टर डिग्री या संग्रहालय विज्ञान/ हेरिटेज प्रबंधन में मास्टर डिग्री और ये दोनों डिग्रियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से अर्जित की गई हों।</p> <p>(ii) ऐसे प्रतिष्ठित संग्रहालय में संग्रहाध्यक्ष की सहायता करने का 10 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव जो सूचना संग्रहण, प्रलेखन, अनुसंधान, सूचना का प्रसार, प्रदर्शों और शैक्षिक कार्यक्रमों को अद्यतन और विकसित करने संबंधी कार्य करता हो और संग्रहालय में नवीनतम आईटी तकनीकों का अनुप्रयोग करता हो।</p> <p>या</p> <p>ऐसे प्रतिष्ठित संग्रहालय में शैक्षिक सेवाओं में 10 वर्ष का अनुभव; संग्रहालय शिक्षा के दर्शनशास्त्र और प्रौद्योगिकी में और संग्रहालयों में नवीनतम आईटी तकनीकों के अनुप्रयोग में निपुण।</p> <p>प्रतिनियुक्ति के लिए: केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्धसरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के वे अधिकारी जो मूल संवर्ग विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर हैं और पदोन्नति के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।</p> <p>टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (इसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) और केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (इसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	राष्ट्रपति के अपर सचिव / संयुक्त सचिव, आंतरिक वित्तीय सलाहकार और निदेशक / उप सचिव
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी: राष्ट्रपति

	क्रम संख्या	16
(1)	पद का नाम	जन संपर्क अधिकारी
(2)	पदों की संख्या	1* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 11(₹67700-₹208700)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	चयन
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	पदोन्नत व्यक्ति के लिए दो वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न कर पाने पर प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	<p>पदोन्नति लेवल 10 (₹56100-₹177500) में राष्ट्रपति सचिवालय में स्वागत अधिकारी, जिन्होंने अपने ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो और निम्नलिखित अर्हता रखते हों -</p> <ol style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री अथवा इसके समकक्ष डिग्री जन संपर्क/ प्रचार/ मुद्रण और प्रकाशन में पर्यवेक्षी कार्य में पांच वर्ष का अनुभव <p>प्रतिनियुक्ति/ आमेलन</p> <ol style="list-style-type: none"> पदोन्नति के लिए अपेक्षित अर्हता रखने वाले केंद्र/ राज्य सरकार में लेवल 11(₹67700-₹208700) में सदृश पद धारक अथवा पदोन्नति के लिए अपेक्षित अर्हता रखने वाले व लेवल 10(₹56100-₹177500) के ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले सदृश पद धारक

		<p>टिप्पणी 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि (इसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) और केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य सर्वगं बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (इसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 2- प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	राष्ट्रपति के अपर सचिव / संयुक्त सचिव, आंतरिक वित्तीय सलाहकार और निदेशक / उप सचिव
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं।

नियुक्ति प्राधिकारी : राष्ट्रपति

	क्रम संख्या	17
(1)	पद का नाम	क्वैरेटर
(2)	पदों की संख्या	1* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 10 (₹56100-₹177500)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	चयन
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	अधिकतम 35 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट)
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	(i) आधुनिक भारतीय इतिहास के ज्ञान सहित इतिहास में मास्टर डिग्री या संग्रहालय विज्ञान/ हेरिटेज प्रबंधन में मास्टर डिग्री और ये दोनों डिग्रियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से अर्जित की गई हों। (ii) ऐसे प्रतिष्ठित संग्रहालय में संग्रहाध्यक्ष की सहायता करने का 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव जो सूचना संग्रहण, प्रलेखन, अनुसंधान, सूचना का प्रसार, प्रदर्शों और शैक्षिक कार्यक्रमों को अद्यतन और विकसित करने संबंधी कार्य करता हो और संग्रहालय में नवीनतम आईटी तकनीकों का अनुप्रयोग करता हो।
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	हां
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न कर पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से भर्ती न कर पाने पर सीधी भर्ती द्वारा

	से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	<p>पदोन्नति के लिए राष्ट्रपति सचिवालय में लेवल 7 (₹44900-₹142400) में सहायक क्यूरेटर की पदोन्नति, जो 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।</p> <p>प्रतिनियुक्ति के लिए पदोन्नति के लिए अपेक्षित उपर्युक्त शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखने वाले मूल संवर्ग विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारक केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों के अधिकारी।</p> <p>टिप्पणी 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि (इसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) और केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (इसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 2- प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	राष्ट्रपति के अपर सचिव / संयुक्त सचिव, आंतरिक वित्तीय सलाहकार और निदेशक / उप सचिव
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं।

नियुक्ति प्राधिकारी : राष्ट्रपति

	क्रम संख्या	18
(1)	पद का नाम	तकनीकी अधिकारी
(2)	पदों की संख्या	1* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 10 (₹ 56100-₹177500)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	चयन
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं

(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	पदोन्नत व्यक्ति के लिए दो वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न कर पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	<p>पदोन्नति के लिए</p> <p>निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव वाले और संबंधित ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित लेवल 7(₹44900-₹142400) में राष्ट्रपति के सचिवालय की गृह स्थापना में तकनीकी सहायक से पदोन्नति :</p> <ol style="list-style-type: none"> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से इलेक्ट्रॉनिक अथवा कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री कम्प्यूटर और सहायक उपकरणों, बड़ी स्क्रीन प्रोजेक्टरों, प्लाजमा स्क्रीनों आदि के प्रचालन, अनुरक्षण और नियमित उन्नयन में पांच वर्ष का अनुभव। संग्रहण के दृश्य प्रलेखन, कम्प्यूटर मल्टी मीडिया, परस्पर डिजिटल प्रदर्श आभासी, वास्तविकता आदि सहित संग्रहालय से संबंधित विभिन्न कार्यों में निपुणता <p>प्रतिनियुक्ति के लिए</p> <p>पदोन्नति के लिए अपेक्षित उपर्युक्त शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखने वाले मूल संवर्ग विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारक केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों के अधिकारी।</p> <p>टिप्पणी 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि(इसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) और केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य सवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (इसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 2- प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	राष्ट्रपति के अपर सचिव / संयुक्त सचिव, आंतरिक वित्तीय सलाहकार और निदेशक / उप सचिव
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं।

नियुक्ति प्राधिकारी : राष्ट्रपति

	क्रम सं.	19
(1)	पद का नाम	स्वागत अधिकारी
(2)	पदों की संख्या	1 * (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल-10 (₹56100-₹177500)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार/आदेशानुसार पांच वर्षों तक छूट)
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष (ii) जन संपर्क के क्षेत्र में पांच वर्षों का अनुभव
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति/आमेलन: ऐसे व्यक्ति जो केंद्र/राज्य सरकार में लेवल-10 (₹56100-₹177500) में सदृश पद धारण करते हो; जो सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अर्हताएं रखते हों। टिप्पणी 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) तथा केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं

		होगी। टिप्पणी 2- प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	राष्ट्रपति के अपर सचिव / संयुक्त सचिव, आंतरिक वित्तीय सलाहकार और निदेशक / उप सचिव
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं।

नियुक्ति प्राधिकारी : - राष्ट्रपति

	क्रम सं.	20
(1)	पद का नाम	अनुभाग अधिकारी
(2)	पदों की संख्या	24 * (2017) कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अनुसचिवीय राजपत्रित
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल-8 (₹47600-₹151100)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	चयन
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	आठ वर्षों की नियमित सेवा वाले सहायक अनुभाग अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव, आंतरिक वित्तीय सलाहकार तथा निदेशक/उप-सचिव
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं।

नियुक्ति प्राधिकारी : - राष्ट्रपति के सचिव

	क्रम सं.	21
(1)	पद का नाम	निजी सचिव
(2)	पदों की संख्या	9 * (2017) कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अनुसचिवीय, राजपत्रित
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल-8 (₹47600-₹151100)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	पदोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	<p>पदोन्नति:-</p> <p>उन आशुलिपिक ग्रेड 'सी' में से जिन्होंने उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>केंद्र सरकार में आशुलिपिक का पद धारण करने वाले पदाधिकारी जिन्होंने:-</p> <p>(क)(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या</p> <p>(ii) जिन्होंने आशुलिपिक ग्रेड 'सी' के पद पर नियुक्ति के पश्चात् लेवल -7 (₹44900-₹142400) या इसके समकक्ष पद पर मूल काडर या विभाग में पांच वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पणी:- प्रतिनियुक्ति की अवधि तथा केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित अन्य किसी संवर्ग-वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम</p>

		तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव, आंतरिक वित्तीय सलाहकार तथा निदेशक/उप-सचिव
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं।

नियुक्ति प्राधिकारी : - राष्ट्रपति के सचिव

	क्रम सं.	22
(1)	पद का नाम	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी
(2)	पदों की संख्या	1 * (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अननुसचिवीय, राजपत्रित
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल-7 (₹44900-₹142400)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्षों तक की छूट)
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री; (ii) केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त या संविधिक संगठन/पी एस यू/ विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थान में पुस्तकालय में दो वर्षों का वृत्तिक अनुभव। वांछनीय: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। टिप्पणी: अर्हताओं में अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष।

(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधीन ऐसे अधिकारी (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारी हैं: या (ii) लेवल-6 (₹35400-₹112400) या समकक्ष पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है; तथा (ख) कॉलम-7 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं तथा अनुभव प्राप्त हो।
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	लागू नहीं
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं।

नियुक्ति प्राधिकारी : -राष्ट्रपति के सचिव

	क्रम संख्या	23
(1)	पद का नाम	फोटोग्राफिक अधिकारी
(2)	पदों की संख्या	1* [2017] * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अननुसचिवीय, राजपत्रित
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 7 (₹44900 – ₹142400)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष तक की छूट)
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री (ii) समाचार या प्रचार संगठन में प्रेस फोटोग्राफी समेत फोटोग्राफी की विभिन्न शाखाओं में तीन वर्ष का अनुभव और डार्क रूम कार्य का अच्छा और सैद्धांतिक व व्यावहारिक ज्ञान।

		वांछनीय फोटोग्राफी में डिप्लोमा, फोटोग्राफिक फीचरों के आलेखों का अनुभव
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हाँ
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न किए जाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न किए जाने पर सीधी भर्ती द्वारा।
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	पदोन्नति:- कनिष्ठ फोटोग्राफर की पदोन्नति द्वारा तथा जिसने 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, कॉलम 7 में विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता प्राप्त की हो। प्रतिनियुक्ति:- वे अधिकारी जो केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / अर्द्ध-सरकारी विभागों में फोटोग्राफर के पद पर हों – (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद पर हों; या (ii) मूल काडर या विभाग में लेवल 6 (₹ 35400 – ₹112400) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद फोटोग्राफर ग्रेड में की गई पांच वर्ष की नियमित सेवा। टिप्पणी:- प्रतिनियुक्ति की अवधि तथा केन्द्र सरकार के इसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग – बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को अधिकतम 56 वर्ष होगी।
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव, राष्ट्रपति के प्रैस सचिव तथा निदेशक (प्रशासन) या उप सचिव (प्रशासन)
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं।

नियुक्ति प्राधिकारी : राष्ट्रपति के सचिव

	क्रम संख्या	24
(1)	पद का नाम	सीनियर तकनीकी रेस्टोरर
(2)	पदों की संख्या	1* [2017] * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 7 [₹44,900 – ₹1,42,400]
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं होता
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों / आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट)
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा मान्यताप्राप्त संस्था से समकक्ष डिग्री (ii) संग्रहालय की वस्तुओं प्रमुखतया संस्था या संग्रहालय में कागज और कपड़े पर ऑयल पेंटिंग तथा कलात्मक वस्तुओं के पुनः स्थापन में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय या भारतीय संरक्षण केन्द्र में पुनः स्थापन (रेस्टोरेशन) में प्रशिक्षण। टिप्पणी यदि अभ्यर्थी अन्यथा सुयोग्य हो तो नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधे भर्ती के लिए दो वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति द्वारा, ऐसा न किए जाने पर सीधी भर्ती द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्ति के मामले में, सदृश पद धारण करने वाले व्यक्तियों में से प्रतिनियुक्ति – (i) लेवल 7 में (₹44900 – ₹142400), या (ii) लेवल 6 में (₹35400 – ₹ 112400) तथा जिन्होंने केन्द्र / राज्य, सरकार के संग्रहालयों में इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और जो सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अर्हता रखते हों।

		<p>टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) तथा केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग - बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	आंतरिक वित्तीय सलाहकार, निदेशक और संयुक्त निदेशक
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं।

नियुक्ति प्राधिकारी : राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

	क्रम संख्या	25
(1)	पद का नाम	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी
(2)	पदों की संख्या	1* [2017] * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अननुसचिवीय (अराजपत्रित)
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 8 (₹ 47600 – ₹151100)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	अचयन
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों / आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	12वीं कक्षा या समकक्ष तथा नर्सिंग में ग्रेड 'क' प्रमाणपत्र और मान्यता प्राप्त अस्पताल में नर्सिंग अधिकारी के रूप में 2 वर्ष का अनुभव
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	शैक्षिक अर्हताएं : हाँ आयु : नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न किए जाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा / दोनों द्वारा न किए जाने पर सीधी भर्ती द्वारा।
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	(i) पदोन्नति:- नर्सिंग अधिकारी के ग्रेड से जिसमें 5 वर्ष की नियमित सेवा हो।

		(ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा:- उन व्यक्तियों से जो केन्द्र या राज्य सरकार / अर्ध-सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में सदृश पदों पर हों।
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	निदेशक / उप सचिव, चिकित्सक / उप चिकित्सक तथा अवर सचिव (प्रशासन)
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं।

नियुक्ति प्राधिकारी : राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

	क्रम संख्या	26
(1)	पद का नाम	लोक स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी
(2)	पदों की संख्या	1* [2017] * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अननुसचिवीय (अराजपत्रित)
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 8 (₹47600 -₹151100)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	अचयन
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों / आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष तक की छूट)
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	मान्यता प्राप्त संस्था से लोक स्वास्थ्य में डिप्लोमा तथा अधिमानतः स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण, प्रसूति और वेल-वेबी क्लीनिकों के आयोजन में 8-10 वर्ष का अनुभव।
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	शैक्षिक अर्हताएं : हाँ आयु : नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न किए जाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न किए जाने पर सीधी भर्ती द्वारा।
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	(i) पदोन्नति:- नर्सिंग अधिकारी के ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा। (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा:- उन व्यक्तियों से जो केन्द्र या राज्य सरकार / अर्ध-सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में सदृश पदों पर हों
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	निदेशक / उप-सचिव, चिकित्सक / उप-चिकित्सक तथा अवर सचिव (प्रशासन)
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं।

नियुक्ति प्राधिकारी : राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

	क्रम सं.	27
(1)	पद का नाम	आशुलिपिक ग्रेड 'ग'
(2)	पदों की संख्या	7 * (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अननुसचिवीय (अराजपत्रित)
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 7 (₹44900 -₹142400)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	अचयन
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष उत्तीर्ण (ii) कौशल परीक्षा मानदंड: लगातार श्रुतलेख : 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट यदि उपर्युक्त श्रुतलेख का कंप्यूटर पर अनुलेखन अंग्रेजी में हो तो 40 मिनट और यदि हिंदी में हो तो 55 मिनट
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	नहीं
(9)	परिव्रीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	85% सीधी भर्ती और 15% पदोन्नति द्वारा और ऐसा न कर पाने पर केंद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	(i) पदोन्नति : ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले ग्रेड 'घ' के आशुलिपिकों में से। (ii) प्रतिनियुक्ति : केंद्र सरकार में सदृश पद धारण करने वाले व्यक्तियों से (iii) आशुलिपिक ग्रेड 'ग' का एक पद केवल हिंदी आशुलिपिक के पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	आंतरिक वित्तीय सलाहकार, निदेशक/ उप सचिव और अवर सचिव (प्रशासन)
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं।

नियुक्ति प्राधिकारी : राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

	क्रम सं.	28
(1)	पद का नाम	सहायक अनुभाग अधिकारी
(2)	पदों की संख्या	53*(2017) कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अनुसचिवीय (अराजपत्रित)
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 7(₹44900 - ₹142400)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	अचयन
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले वरिष्ठ सचिवालय सहायकों से पदोन्नति द्वारा।
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	आंतरिक वित्तीय सलाहाकार, निदेशक/उप सचिव और अवर सचिव (प्रशासन)
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी : राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

	क्रम सं.	29
(1)	पद का नाम	नर्सिंग अधिकारी
(2)	पदों की संख्या	1*(2017) कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख'-अननुसचिवीय (अराजपत्रित)
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 7(₹44900 - ₹142400)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी)

		अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	12वीं अथवा समकक्ष उत्तीर्ण और नर्सिंग में ग्रेड 'ए' प्रमाण पत्र और सरकारी/अर्ध सरकारी और मान्यता प्राप्त अस्पताल में नर्सिंग अधिकारी के रूप में अनुभव लागू नहीं
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति द्वारा और ऐसा न कर पाने पर सीधी भर्ती द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	केंद्र अथवा राज्य सरकार/अर्ध सरकारी विभाग में सदृश पद धारण करने वाले व्यक्तियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	निदेशक/उप सचिव, चिकित्सक/ उप चिकित्सक और अवर सचिव (प्रशासन)
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी : निदेशक/ उप सचिव

	क्रम सं.	30
(1)	पद का नाम	सुपरवाइजर, टेलीफोन एक्सचेंज
(2)	पदों की संख्या	1*(2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अतनुसचिवीय, अराजपत्रित
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 7(₹44900 - ₹142400)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	चयन
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	5 वर्ष की नियमित सेवा वाले शिफ्ट सुपरवाइजर से पदोन्नति द्वारा।

(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	आंतरिक वित्तीय सलाहकार, निदेशक/उप सचिव और अवर सचिव (प्रशासन)
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी : निदेशक/ उप सचिव

	क्रम सं.	31
(1)	पद का नाम	सहायक क्यूरेटर
(2)	पदों की संख्या	1 * (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अननुसचिवीय, अराजपत्रित
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 7(₹44900 - ₹142400)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	(i) आधुनिक भारतीय इतिहास के ज्ञान सहित इतिहास में मास्टर डिग्री या संग्रहालय विज्ञान/ हेरिटेज प्रबंधन में मास्टर डिग्री और ये दोनों डिग्रियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से अर्जित की गई हों। (ii) ऐसे प्रतिष्ठित संग्रहालय में संग्रहाध्यक्ष की सहायता करने का 2 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव जो सूचना संग्रहण, प्रलेखन, अनुसंधान, सूचना का प्रसार, प्रदर्शनी और शैक्षिक कार्यक्रमों को अद्यतन और विकसित करने संबंधी कार्य करता हो और संग्रहालय में नवीनतम आईटी तकनीकों का अनुप्रयोग करता हो।
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	<p>प्रतिनियुक्ति के लिए:-</p> <p>केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी जो मूल काडर विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं तथा सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।</p> <p>टिप्पणी 1- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि तथा केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति भी है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 2- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	आंतरिक वित्तीय सलाहकार, निदेशक और संयुक्त निदेशक
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी : - राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

	क्रम सं.	32
(1)	पद का नाम	वरिष्ठ शिक्षा सहायक
(2)	पदों की संख्या	1 * (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अननुसचिवीय, अराजपत्रित
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 7(₹44900 - ₹142400)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं

(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से विषय के रूप में इतिहास में स्नातक डिग्री; और (ii) अनुसंधान छात्र/परिचर/गाइड के रूप में पांच वर्ष का अनुभव जिसमें प्रतिष्ठित संग्रहालय में प्रदर्शों की संस्थापना/प्रदर्शन का कार्य किया हो और प्रदर्शों की जानकारी हिंदी व अंग्रेजी में धारा प्रवाह देने की क्षमता हो।
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	<p>प्रतिनियुक्ति के लिए:-</p> <p>केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सरकारी उपक्रमों या अर्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी जो मूल काडर विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं तथा सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।</p> <p>टिप्पणी 1- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) तथा केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 2- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	आंतरिक वित्तीय सलाहकार, निदेशक और संयुक्त निदेशक
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी : - राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

	क्रम सं.	33
(1)	पद का नाम	कनिष्ठ फोटोग्राफर
(2)	पदों की संख्या	1 * (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अननुसचिवीय, अराजपत्रित
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल-6 (₹35400 - ₹112400)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री (ii) समाचार या प्रचार संगठन में प्रेस फोटोग्राफी समेत फोटोग्राफी की विभिन्न शाखाओं में दो वर्ष का अनुभव और डार्क रूम कार्य का अच्छा सैद्धांतिक व व्यावहारिक ज्ञान वांछनीय फोटोग्राफी में डिप्लोमा; फोटोग्राफिक फीचरों आलेखों का अनुभव
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	i) पदोन्नति: प्रोडक्शन सहायक या कनिष्ठ फोटो सहायक की पदोन्नति द्वारा ii) प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार में सदृश पद धारण

		किए और कॉलम 7 में उल्लिखित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों से
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	राष्ट्रपति के प्रेस सचिव, निदेशक/ उप सचिव और अवर सचिव (प्रशासन)
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं होता

नियुक्ति प्राधिकारी : - राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

	क्रम सं.	34
(1)	पद का नाम	तकनीकी सहायक
(2)	पदों की संख्या	1*[2017] * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अननुसचिवीय, अराजपत्रित
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल-6 (₹35400 - ₹112400)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	अधिकतम 30 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार / आदेशानुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	12 वीं कक्षा का इसके समकक्ष और साथ में प्रयोगशाला तकनीकी सहायक पाठ्यक्रम में प्रमाणपत्र और मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में किसी प्रयोगशाला में 2 वर्ष का अनुभव
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति द्वारा, ऐसा न कर पाने पर सीधी भर्ती द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	केंद्र सरकार या राज्य सरकार/ अर्ध सरकारी कार्यालयों में सदृश पद वाले व्यक्तियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	निदेशक / उपसचिव, चिकित्सक/ उप चिकित्सक और अवर सचिव (प्रशासन)
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी: निदेशक/ उप सचिव

	क्रम सं.	35
(1)	पद का नाम	शिफ्ट सुपरवाइजर
(2)	पदों की संख्या	2*[2017] * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अनुसचिवीय, अराजपत्रित
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल-6 (₹35400 - ₹112400)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	चयन
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले टेलिफोन ऑपरेटर ग्रेड-1 से पदोन्नति द्वारा
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	आंतरिक वित्त सलाहकार, निदेशक/ उप सचिव एवं अवर सचिव (प्रशासन)
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी: निदेशक/ उप-सचिव

	क्रम सं.	36
(1)	पद का नाम	अनुभाग अधिकारी (बागवानी)
(2)	पदों की संख्या	3*[2017] * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अननुसचिवीय, अराजपत्रित
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल-6 (₹35400 - ₹112400)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	अधिकतम 30 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार/आदेशानुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	कृषि विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में स्नातक और बागवानी कार्य में 2 वर्ष का अनुभव
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं

(9)	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति द्वारा, ऐसा न कर पाने पर सीधी भर्ती द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	प्रतिनियुक्ति : सरकारी/ अर्ध- सरकारी बागवानी विभाग में सदृश पदधारी व्यक्तियों से
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	निदेशक/उपसचिव, ओ एस डी (बागवानी) /राष्ट्रपति के उद्यान अधीक्षक और अवर सचिव (प्रशासन)
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी: निदेशक/ उपसचिव

	क्रम सं.	37
(1)	पद का नाम	फार्मासिस्ट
(2)	पदों की संख्या	3*[2017] * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अननुसचिवीय, अराजपत्रित
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 5 (₹29200 - ₹92300)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	18 से 27 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए केंद्र सरकार के निर्देशानुसार या आदेशानुसार 40 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी 1 : आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और इसमें असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश का चंबा जिले का पांगी उप-प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छोड़कर। टिप्पणी 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों में नाम भेजने के लिए कहा गया है।
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	i. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय

		से 12 वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण ii. फार्मैसी में डिप्लोमा और राज्य फार्मैसी परिषद् से पंजीकरण
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हाँ
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति द्वारा, ऐसा न कर पाने पर सीधी भर्ती द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	प्रतिनियुक्ति : क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले केंद्र सरकार के अधिकारी : ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं एवं अनुभव रखने वाले अधिकारी टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि और इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी संगठन में या किसी अन्य संगठन में या केंद्र सरकार के विभाग में धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्न शामिल होंगे : 1) निदेशक या उप सचिव 2) चिकित्सक अथवा उप चिकित्सक 3) अवर सचिव (प्रशासन)
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी: निदेशक/ उपसचिव

	क्रम सं.	38
(1)	पद का नाम	प्रोडक्शन सहायक
(2)	पदों की संख्या	1*[2017] * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 5 (₹29200 - ₹92300)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	18 से 27 वर्ष के बीच

		<p>(विभागीय अभ्यर्थियों के लिए केंद्र सरकार के निर्देशानुसार या आदेशानुसार 40 वर्ष तक की छूट)</p> <p>टिप्पणी 1 : आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और इसमें असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश का चंबा जिले का पांगी उप-प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छोड़कर ।</p> <p>टिप्पणी 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों में नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	<p>i. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री।</p> <p>ii. किसी प्रतिष्ठित स्टूडियो से कंपोजिशन, वर्धन, अनुशोधन, फिनिशिंग, ड्राई माउंटिंग, प्रिंटिंग या डिब्रेलपिंग में तीन वर्ष का अनुभव</p> <p>iii. डार्क रूम में प्रयुक्त सभी प्रकार के उपकरणों की जानकारी</p> <p>वांछनीय : फोटोग्राफी में अनुभव</p>
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	<p>आयु : नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं : हाँ</p>
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	<p>पदोन्नति :</p> <p>लेवल 4(₹25500-₹ 81100) में कनिष्ठ फोटो सहायक जिसकी उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा हो।</p> <p>टिप्पणी : जहां कनिष्ठों, जो कि अर्हक या पात्रता सेवा कर चुके हैं, पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा विहित अर्हक या पात्र सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से अधिक, जो भी कम हो, से कम न हो और उन कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ-साथ अगले</p>

		<p>उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए परीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो जिन्होंने उक्त अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :</p> <p>क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद वाले केंद्र सरकार के अधिकारी और</p> <p>ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं एवं अनुभव रखने वाले अधिकारी</p> <p>टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि और इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी संगठन में या किसी अन्य संगठन में या केंद्र सरकार के विभाग में धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	<p>समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) तथा विभागीय स्थायीकरण (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :</p> <p>1) राष्ट्रपति के प्रेस सचिव/ राष्ट्रपति के उप प्रेस सचिव</p> <p>2) निदेशक या उप सचिव</p> <p>3) अवर सचिव (प्रशासन)</p>
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी: निदेशक/ उपसचिव

	क्रम सं.	39
(1)	पद का नाम	रिसेप्शनिस्ट ग्रेड-I
(2)	पदों की संख्या	1* [2017] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 5 (₹29200 - ₹92300)

(5)	चयन पद है या अचयन पद	अचयन
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	18-27 वर्ष (केंद्रीय सरकार के निर्देशानुसार/आदेशानुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री वांछनीय (i) जन संपर्क में 5 वर्ष का अनुभव। (ii) पर्सनल कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव।
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हाँ
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	पदोन्नत/सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न किए जाने पर सीधी भर्ती द्वारा।
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	पदोन्नति: राष्ट्रपति सचिवालय में लेवल 4 [₹25500- ₹81100] में रिसेप्शनिस्ट ग्रेड- II, जिसने इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो तथा उसके पास सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित योग्यता हो।
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	निदेशक, संयुक्त निदेशक और उपसचिव / अवर सचिव (प्रशा.)
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी: निदेशक/उपसचिव

	क्रम सं.	40
(1)	पद का नाम	वरिष्ठ सचिवालय सहायक
(2)	पदों की संख्या	37* [2017] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 4 [₹25500-₹81100]
(5)	चयन पद है या अचयन पद	अचयन
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष।
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने	75% पदोन्नति द्वारा और 25% सीमित

	वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा।
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	(क) 75% उन कनिष्ठ सचिवालय सहायकों में से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने उस ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है और ऐसा न किए जा सकने पर अनुसूची-V में विहित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा। (ख) 25% उन कनिष्ठ सचिवालय सहायकों की पदोन्नति के द्वारा, जिन्होंने उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है जिसके लिए इनका चयन अनुसूची-V में विहित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	विभागीय पदोन्नति समिति में (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित शामिल होंगे:- (1) आंतरिक वित्तीय सलाहकार। (2) निदेशक / उपसचिव (3) अवर सचिव (प्रशा.)
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी: निदेशक/उपसचिव

	क्रम सं.	41
(1)	पद का नाम	आशुलिपिक ग्रेड 'घ'
(2)	पदों की संख्या	1* [2017] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 4 [₹25500- ₹81100]
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	18-27 वर्ष (केंद्रीय सरकार के निर्देशानुसार या विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक छूट) टिप्पणी: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन में दी गई तारीख होगी।
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा पास या इसके समकक्ष। (ii) कौशल परीक्षण प्रतिमानक श्रुतलेख: 10 मिनट @ 80 शब्द प्रति मिनट। कंप्यूटर पर प्रतिलेखन: 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिंदी)
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं

(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष।
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणी: पदधारी के एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर होने या लंबी बीमारी या अध्ययनार्थ छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के अधीन उत्पन्न हुई रिक्ति केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जाएगी- (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों और (ख) उनके पास सीधी भर्ती के लिए कॉलम (7) में विहित योग्यताएं और अनुभव हों।
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	लागू नहीं
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति में (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित शामिल होंगे:- (1) आंतरिक वित्तीय सलाहकार। (2) निदेशक / उपसचिव (3) अवर सचिव (प्रशा.)
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी: निदेशक/उपसचिव

	क्रम सं.	42
(1)	पद का नाम	टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड-I
(2)	पदों की संख्या	5* [2017] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 4 [₹25500- ₹81100]
(5)	चयन पद है या अचयन पद	अचयन
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष।

(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा।
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	पदोन्नति लेवल 2 (₹19900-₹63200) में टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड-II जिसने इस ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है। टिप्पणी : जहां कनिष्ठों, जो कि अर्हक या पात्रता सेवा कर चुके हैं, पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा विहित अर्हक या पात्र सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से अधिक, जो भी कम हो, से कम न हो और उन कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ-साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो जिन्होंने उक्त अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति में (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित शामिल होंगे:- (1) आंतरिक वित्तीय सलाहकार (2) निदेशक / उपसचिव (3) अवर सचिव (प्रशा.)
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी: निदेशक/उपसचिव

	क्रम सं.	43
(1)	पद का नाम	कनिष्ठ फोटो सहायक
(2)	पदों की संख्या	1* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 4 [₹25500- ₹81100]
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18 से 27 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए केंद्र सरकार के निर्देशानुसार या आदेशानुसार 40 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी 1 : आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और इसमें असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू

		<p>और कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश का चंबा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छोड़कर ।</p> <p>टिप्पणी 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों में नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष</p> <p>(ii) किसी प्रसिद्ध स्टूडियों से फोटोग्राफिक कार्य का दो वर्ष का अनुभव</p> <p>वांछनीय संवेदनशील फिल्मों को डेवलप करने का अनुभव</p>
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति द्वारा और ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	<p>(क) प्रतिनियुक्ति: मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और</p> <p>(ख) कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं एवं अनुभव रखने वाले कर्मचारी</p> <p>टिप्पणी 1:</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें इसी या किसी अन्य संगठन या केंद्र सरकार के किसी विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी अन्य संवर्गवाहा पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है ।</p> <p>टिप्पणी 2:</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति में (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए)

		निम्नलिखित शामिल है:- (1) राष्ट्रपति के प्रेस सचिव/ राष्ट्रपति के उप-प्रेस सचिव (2) निदेशक या उप-सचिव (3) अवर सचिव (प्रशा.)
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी : निदेशक/उप-सचिव

* ब्रोमाइड प्रिंटर के पद को कनिष्ठ फोटो सहायक के रूप में पुनः पदनामित किया गया है क्योंकि ब्रोमाइड प्रिंटर का पद निरर्थक है।

	क्रम सं.	44
(1)	पद का नाम	सफाई पर्यवेक्षक
(2)	पदों की संख्या	1* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 4 [₹25500- ₹81100]
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18 से 27 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए केंद्र सरकार के निर्देशानुसार या आदेशानुसार 40 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी 1 : आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और इसमें असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश का चंबा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छोड़कर। टिप्पणी 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों में नाम भेजने के लिए कहा गया है।
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सफाई या

		मलेरिया रोग विज्ञान में डिप्लोमा
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति द्वारा और ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	<p>(क) प्रतिनियुक्ति: मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी</p> <p>(ख) कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं एवं अनुभव रखने वाले कर्मचारी</p> <p>टिप्पणी 1:</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें इसी या किसी अन्य संगठन या केंद्र सरकार के किसी विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है।</p> <p>टिप्पणी 2:</p> <p>प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	समूह "ग" विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल है:- <ol style="list-style-type: none"> (1) आंतरिक वित्त सलाहाकार (2) निदेशक या उप-सचिव (3) नियंत्रक, राष्ट्रपति के गृह प्रबंधन
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी : निदेशक/उप-सचिव

	क्रम सं.	45
(1)	पद का नाम	रिसेप्शनिस्ट ग्रेड -II
(2)	पदों की संख्या	2* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 4 [₹25500-₹81100]
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18-27 वर्ष (केंद्रीय सरकार के निर्देशानुसार या आदेशानुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री। वांछनीय (i) जनसंर्क में 2 वर्ष का अनुभव (ii) पर्सनल कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	सीधी भर्ती द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	लागू नहीं
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	निदेशक/उप-सचिव, संयुक्त निदेशक और अवर सचिव (प्रशासन)
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी : निदेशक/उप-सचिव

	क्रम सं.	46
(1)	पद का नाम	टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड -II
(2)	पदों की संख्या	5* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 2 (₹19900-₹63200)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18 से 27 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए केंद्र सरकार के निर्देशानुसार या आदेशानुसार 40 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी 1 : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और इसमें असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश का चंबा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छोड़कर । टिप्पणी 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों में नाम भेजने के लिए कहा गया है।
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष । वांछनीय : टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणी : पदधारी के एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर होने या लंबी बीमारी या अध्ययनार्थ छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के अधीन उत्पन्न हुई रिक्ति

		केंद्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जाएगी - (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों और (ख) उनके पास सीधी भर्ती के लिए कॉलम (7) में विहित योग्यताएं और अनुभव हों।
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	लागू नहीं
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल हैं :- (1) आंतरिक वित्त सलाहकार (2) निदेशक या उप-सचिव (3) अवर सचिव (प्रशासन)
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी : निदेशक/उप-सचिव

	क्रम सं.	47
(1)	पद का नाम	कनिष्ठ सचिवालय सहायक
(2)	पदों की संख्या	38*[2017] * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अनुसचिवीय, अराजपत्रित
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 2 (₹19900-₹63200)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18 से 27 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए केंद्र सरकार के निर्देशानुसार या आदेशानुसार 40 वर्ष तक छूट) टिप्पणी : आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत तारीख होगी।
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	i. मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा पास या समकक्ष ii. कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टाइपिंग गति 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट (प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी दबाने के औसत से 35 शब्द प्रति मिनट का अर्थ प्रति घंटा 10500 कुंजी दबाना/ 30 शब्द प्रति

		मिनट का अर्थ प्रति घंटा 9000 कुंजी दबाना)
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	हां, कॉलम 10 में उल्लिखित सीमा तक
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	<p>i. कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से 85 प्रतिशत</p> <p>ii. 5 प्रतिशत रिक्तियां लेवल-1 में मल्टी टास्किंग स्टाफ और एंटी मलेरिया- सह -मल्टी टास्किंग स्टाफ से वरिष्ठता सह उपयुक्तता आधार पर पदोन्नति द्वारा भरी जाएगी, जिन्होंने 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो।</p> <p>iii. दस प्रतिशत रिक्तियां लेवल-1 में (₹18000 - ₹56900) में मल्टी टास्किंग स्टाफ और एंटी मलेरिया- सह -मल्टी टास्किंग स्टाफ में से पदोन्नति द्वारा भरी जाएगी जिन्होंने 12 वीं कक्षा पास की हो या जिनके पास समकक्ष अर्हता हो और जिन्होंने इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो और उनका चयन सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।</p> <p>टिप्पणी 1: परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है(अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष की आयु)</p> <p>टिप्पणी 2: यदि खंड (ii) में उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या की तुलना में ऐसे अधिक कर्मचारी परीक्षा पास करते हैं तो ऐसे अधिक कर्मचारियों पर परवर्ती वर्षों में उत्पन्न रिक्त पदों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे पूर्व परीक्षा पास करने वाले कर्मचारियों पर उनसे पहले विचार किया जाए जो बाद में परीक्षा पास करते हैं।</p>
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	कॉलम 10 में उल्लेख किए गए अनुसार
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) और विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार के लिए) में निम्नलिखित शामिल हैं :- <p>(1) आंतरिक वित्तीय सलाहकार (2) निदेशक/ उपसचिव (3) अवर सचिव (प्रशासन)</p>
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी: निदेशक/ उप सचिव

	क्रम सं.	48
(1)	पद का नाम	सेनिटरी फिटर
(2)	पदों की संख्या	1*[2017] * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अननुसचिवीय, अराजपत्रित
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 2 (₹19900-₹63200)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18 से 27 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए केंद्र सरकार के निर्देशानुसार या आदेशानुसार 40 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी 1 : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और इसमें असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश का चंबा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छोड़कर । टिप्पणी 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों में नाम भेजने के लिए कहा गया है।
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा पास या समकक्ष वांछनीय : सेनिटरी फिटर के कार्य में पांच वर्ष का अनुभव
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति से और दोनों से न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	पदोन्नति : लेवल -। (₹18000-₹56900) में एंटी मलेरिया- सह -मल्टी टास्किंग स्टाफ, जिसने इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है। टिप्पणी : जहां कनिष्ठों, जो कि अर्हक या पात्रता सेवा कर चुके हैं, पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है,

		<p>उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा विहित अर्हक या पात्र सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से अधिक, जो भी कम हो, से कम न हो और उन कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ-साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो जिन्होंने उक्त अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :-</p> <p>क) केंद्रीय सरकार के अधिकारी जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हैं।</p> <p>ख) जो कॉलम 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।</p> <p>टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि तथा केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	<p>समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) और विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार के लिए) में निम्नलिखित शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) आंतरिक वित्तीय सलाहकार (2) निदेशक/ उपसचिव (3) नियंत्रक, राष्ट्रपति के गृह प्रबंधन
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी: निदेशक/ उप सचिव

	क्रम सं.	49
(1)	पद का नाम	रिकार्ड कीपर
(2)	पदों की संख्या	4*[2017] * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अननुसचिवीय, अराजपत्रित
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल 2 (₹19900-₹63200)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	अचयन
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	पदोन्नति : लेवल -I (₹18000-₹56900) में मल्टी टास्किंग स्टाफ, जिसने इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है। टिप्पणी : जहां कनिष्ठों, जो कि अर्हक या पात्रता सेवा कर चुके हैं, पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा विहित अर्हक या पात्र सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से अधिक, जो भी कम हो, से कम न हो और उन कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ-साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो जिन्होंने उक्त अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल हैं: (1) आंतरिक वित्तीय सलाहकार (2) निदेशक/ उपसचिव (3) अवर सचिव (प्रशासन)
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी: निदेशक/ उप सचिव

* गेस्टेनर आपरेटर के तीन पदों का इसमें विलय हो जाने से पदों की संख्या परिवर्तित होकर एक से चार हो गई है।

	क्रम सं.	50
(1)	पद का नाम	मल्टी टास्किंग स्टाफ
(2)	पदों की संख्या	69 * (2017) कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिदीय
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल-1 (₹18000 - ₹56900)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18 से 27 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए केंद्र सरकार के निर्देशानुसार या आदेशानुसार 40 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी 1 : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और इसमें असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश का चंबा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छोड़कर। टिप्पणी 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों में नाम भेजने के लिए कहा गया है।
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (उच्चतर माध्यमिक) उत्तीर्ण या समकक्ष
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणी: पदधारी के एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर होने या लंबी बीमारी या अध्ययनार्थ छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के अधीन उत्पन्न हुई रिक्ति केंद्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति के

		आधार पर भरी जाएगी - (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों और (ख) उनके पास सीधी भर्ती के लिए कॉलम (7) में विहित योग्यताएं और अनुभव हों।
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	लागू नहीं
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :- 1) आंतरिक वित्तीय सलाहकार 2) निदेशक या उप सचिव 3) अवर सचिव (प्रशासन)
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी : निदेशक/उप सचिव

*पूर्व के पुस्तकालय परिचर के 1 पद, रिकॉर्ड सार्टर के 4 पद, दफ्तरी के 25 पद और चपरासी के 44 पदों को आमेलित करते हुए और अनुभाग अधिकारी के एक पद तथा सहायक के एक पद का सृजन करने के लिए चपरासी के 5 पदों को प्रास्थगित करने से कुल पदों की संख्या 69 हो गई।

	क्रम सं.	51
(1)	पद का नाम	एंटी मलेरिया- सह -मल्टी टास्किंग स्टाफ
(2)	पदों की संख्या	19 * (2017) कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल-1 (₹18000 - ₹56900)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18 से 27 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए केंद्र सरकार के निर्देशानुसार या आदेशानुसार 40 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी 1 : आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त

		<p>करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और इसमें असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश का चंबा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छोड़कर।</p> <p>टिप्पणी 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों में नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	<p>किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में 10+2 या उसके समकक्ष तकनीकी अर्हता माइक्रोसॉफ्ट सूट की कंप्यूटर जानकारी</p>
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	<p>सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>टिप्पणी: पदधारी के एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर होने या लंबी बीमारी या अध्ययनार्थ छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के अधीन उत्पन्न हुई रिक्ति केंद्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जाएगी –</p> <p>(क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों और</p> <p>(ख) उनके पास सीधी भर्ती के लिए कॉलम (7) में विहित योग्यताएं और अनुभव हों।</p>
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	लागू नहीं
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	<p>समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार के लिए) में निम्नलिखित शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) आंतरिक वित्तीय सलाहकार (2) निदेशक/ उपसचिव (3) नियंत्रक, राष्ट्रपति के गृह प्रबंधन
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी : निदेशक/उप सचिव

* पूर्व के एंटी मलेरिया जमादार का 1 पद और एंटी मलेरिया गैंगमैन के 18 पदों को मिलाते हुए एंटी मलेरिया-सह-मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों की संख्या 19 हो गई है।

	क्रम सं.	52
(1)	पद का नाम	मेडीकल फीमेल अटेंडेंट-सह-मल्टी टास्किंग स्टाफ
(2)	पदों की संख्या	2 * (2017) कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल-1 (₹18000 - ₹56900)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18 से 27 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए केंद्र सरकार के निर्देशानुसार या आदेशानुसार 40 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी 1 : आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और इसमें असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश का चंबा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छोड़कर। टिप्पणी 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों में नाम भेजने के लिए कहा गया है।
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में 10+2 उत्तीर्ण या उसके समकक्ष तकनीकी अर्हता (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रथम उपचार में प्रमाण पत्र; (ii) मरहमपट्टी, इंजेक्शन लगाने और सी.पी.आर. (कार्डियों पलमोनरी रिससिसेशन) की जानकारी (iii) आपात स्थिति में देखभाल और चिकित्सा उपकरणों के रखरखाव की जानकारी अनुभव (i) किसी अस्पताल/आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्य करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रसूति विद्या में प्रमाण-पत्र
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष

(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणी: पदधारी के एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर होने या लंबी बीमारी या अध्ययनार्थ छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के अधीन उत्पन्न हुई रिक्ति केंद्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जाएगी - (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करती हों और (ख) उनके पास सीधी भर्ती के लिए कॉलम (7) में विहित योग्यताएं और अनुभव हों।
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	लागू नहीं
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल हैं :- 1) निदेशक या उप सचिव 2) राष्ट्रपति के चिकित्सक या उप चिकित्सक 3) अवर सचिव (प्रशासन)
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी : निदेशक/उप सचिव

राष्ट्रपति संपदा क्लीनिक की कार्यात्मक आवश्यकताओं की दृष्टि से नर्स दाई का पद मेडीकल फीमेल अटेंडेंट-सह-मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में पुनः पदनामित किया गया है।

टिप्पणी:- पदों की संख्या 3 से 2 हो गई है, क्योंकि अनुभाग अधिकारी (बागवानी) का एक पद और नर्स दाई का एक पद दिनांक 20 सितंबर, 2005 के कार्यालय आदेश सं. ए-15011/12/96 प्रशा. के द्वारा सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी का एक पद सृजन के लिए प्रास्थगित रखा गया है।

	क्रम सं.	53
(1)	पद का नाम	चौकीदार
(2)	पदों की संख्या	3 * (2017) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तनीय।
(3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय
(4)	पे मैट्रिक्स में लेवल	लेवल-1 (₹18000 - ₹56900)
(5)	चयन पद है या अचयन पद	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18 से 27 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए केंद्र सरकार के निर्देशानुसार या आदेशानुसार 40 वर्ष तक की छूट)

		<p>टिप्पणी 1 : आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और इसमें असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, लाहोल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश का चंबा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छोड़कर ।</p> <p>टिप्पणी 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों में नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>
(7)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	<p>सशस्त्र बल के भूतपूर्व सैनिकों से</p> <p>शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या उसके समकक्ष</p> <p>तकनीकी अर्हताएं माइक्रोसॉफ्ट सूट की कंप्यूटर जानकारी</p>
(8)	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष
(10)	भर्ती का तरीका: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	<p>सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>टिप्पणी: पदधारी के एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर होने या लंबी बीमारी या अध्ययनार्थ छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के अधीन उत्पन्न हुई रिक्ति केंद्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जाएगी -</p> <p>(क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों और</p> <p>(ख) उनके पास सीधी भर्ती के लिए कॉलम (7) में विहित योग्यताएं और अनुभव हों।</p>
(11)	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	लागू नहीं
(12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	<p>समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल हैं :-</p> <p>(1) निदेशक या उप सचिव</p> <p>(2) विशेष कार्याधिकारी (बागवानी) अथवा अधीक्षक, राष्ट्रपति उद्यान</p> <p>(3) अवर सचिव (प्रशासन)</p>
(13)	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है।	लागू नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी : निदेशक/उप सचिव

अनुसूची - II

तारीख 25.7.2012 को राष्ट्रपति के सचिवालय में सह विस्तारी पद - प्रत्येक राष्ट्रपति की कार्य-अवधि के दौरान
मान्य

नियम 2 (ग) (ii) और 4 देखें।

तारीख 25.7.2012 को राष्ट्रपति के सचिवालय में सह विस्तारी पदों का ब्यौरा

क्रम सं.	पद का नाम	वर्गीकरण	वित्त मंत्रालय की सहमति से निर्धारित वेतनमान	पदों की संख्या
1.	विशेष कार्याधिकारी (पी आर) [संयुक्त सचिव स्तर]	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क'	लेवल 14	1
2.	विशेष कार्याधिकारी [संयुक्त सचिव स्तर]	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क'	लेवल 14	1
3.	विशेष कार्याधिकारी [निदेशक स्तर]	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क'	लेवल 13	1
4.	राष्ट्रपति के निजी सचिव (निदेशक स्तर)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क'	लेवल 13	2
5.	विशेष कार्याधिकारी (बागवानी)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क'	लेवल 13	1
6.	विशेष कार्याधिकारी	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क'	लेवल 12	2
7.	राष्ट्रपति के निजी सचिव	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क'	लेवल 12	3
8.	राष्ट्रपति के उप प्रेस सचिव	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क'	लेवल 12	1
9.	विशेष कार्याधिकारी (हिंदी)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क'	लेवल 12	1
10.	अपर निजी सचिव (अवर सचिव स्तर)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क'	लेवल 11	2
11.	निजी सचिव	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	लेवल 8	2
12.	निजी सहायक	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित)	लेवल 7	3
13.	आशुलिपिक ग्रेड 'घ'	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग'	लेवल 4	1
			कुल	21

राष्ट्रपति की कार्यावधि के साथ सह विस्तारी पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी, वर्गीकरण, योग्यताएं, भर्ती का तरीका और भर्ती का स्रोत निम्नानुसार होगा:-

नियुक्ति प्राधिकारी	राष्ट्रपति
वर्गीकरण	राष्ट्रपति के निर्णयानुसार
वेतनमान	वित्त मंत्रालय की सहमति से व्यक्तिगत आधार पर निर्णयानुसार
योग्यताएं	राष्ट्रपति के विवेकानुसार
भर्ती का तरीका	राष्ट्रपति के विवेकानुसार चयन
भर्ती का स्रोत	राष्ट्रपति के विवेकानुसार
अभ्युक्ति	पदधारी, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पदों पर रहेंगे

अनुसूची – III

राष्ट्रपति सचिवालय में पद, जिनके लिए रक्षा अनुमानों से भुगतान किया जाना है।

नियम 2 (ग) (iii) और 5 देखें

1.	क्रम संख्या	1
2.	पद का नाम	राष्ट्रपति के सैन्य सचिव
3.	पदों की संख्या	एक
4.	वर्गीकरण	श्रेणी – I
5.	नियुक्ति प्राधिकारी	राष्ट्रपति
6.	वेतनमान	भारतीय सेना में मेजर जनरल के वेतनमान के समान
7.	योग्यताएं	रक्षा सेवा में मेजर जनरल अथवा समकक्ष
8.	भर्ती का तरीका	रक्षा सेवा से चयन होने पर
9.	अभ्युक्ति	पदधारी, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहेगा।

1.	क्रम संख्या	2
2.	पद का नाम	राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव
3.	पदों की संख्या	एक
4.	वर्गीकरण	श्रेणी – I
5.	नियुक्ति प्राधिकारी	राष्ट्रपति
6.	वेतनमान	भारतीय सेना में कर्नल के वेतनमान के समान
7.	योग्यताएं	रक्षा सेवा में कर्नल अथवा उसके समकक्ष
8.	भर्ती का तरीका	रक्षा सेवा से चयन होने पर
9.	अभ्युक्ति	पदधारी, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहेगा।

1.	क्रम संख्या	3
2.	पद का नाम	ए.डी.सी. (कमीशंड अधिकारी)
3.	पदों की संख्या	पांच (तीन भारतीय थल सेना से, एक भारतीय नौ सेना से और एक भारतीय वायु सेना से)
4.	वर्गीकरण	श्रेणी – I
5.	नियुक्ति प्राधिकारी	राष्ट्रपति
6.	वेतनमान	भारतीय थल सेना में कैप्टन अथवा भारतीय नौ सेना में लेफ्टिनेंट अथवा भारतीय वायु सेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के समान
7.	योग्यताएं	भारतीय थल सेना का कैप्टन / भारतीय नौ सेना का लेफ्टिनेंट / भारतीय वायु सेना का फ्लाइट लेफ्टिनेंट।
8.	भर्ती का तरीका	रक्षा सेवा से चयन होने पर
9.	अभ्युक्ति	पदधारी, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहेगा।

1.	क्रम संख्या	4
2.	पद का नाम	ए.डी.सी. (जूनियर नान कमीशंड अधिकारी)
3.	पदों की संख्या	पांच (तीन भारतीय थल सेना से, एक भारतीय नौ सेना से और एक भारतीय वायु सेना से)
4.	वर्गीकरण	श्रेणी – II
5.	नियुक्ति प्राधिकारी	राष्ट्रपति
6.	वेतनमान	रक्षा संवर्ग में सदृश ओहदे के अधिकारियों के समान
7.	योग्यताएं	रक्षा संवर्ग में सदृश ओहदे के अधिकारियों के समान
8.	भर्ती का तरीका	रक्षा सेवा से चयन होने पर
9.	अभ्युक्ति	पदधारी, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहेगा।

अनुसूची-III -क
(नियम 8 देखें)

चयन बोर्ड का गठन और इसके कार्य

अनुसूची- I में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति करने के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों की सिफारिश करने के संबंध में चयन बोर्डों का उल्लेख प्रत्येक पद के सामने किया जाएगा।

2. सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों को स्थानीय रोजगार केंद्र, सरप्लस सेल में विज्ञापित या अधिसूचित किया जाएगा इनमें वे रिक्त पद शामिल नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग / कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भरा जाना है।

3. प्राप्त आवेदनों को यह सुनिश्चित करने के लिए छांटा जाएगा कि अभ्यर्थी पद के लिए आयु-सीमा, शैक्षिक योग्यता और अनुभव संबंधी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

4. परीक्षा के स्वरूप का, चाहे यह परीक्षा लिखित हो या मौखिक हो या दोनों ही हो या इनके अलावा कोई शारीरिक जांच हो, निर्धारण राष्ट्रपति के सचिव द्वारा किया जाएगा तथा वह ही चयन का मापदंड भी निर्धारित करेगा और परीक्षा इसी मापदंड के आधार पर ली जाएगी :

परंतु जहां नियुक्ति प्राधिकारी राष्ट्रपति होंगे वहां राष्ट्रपति का सचिव राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर ही इस तरह का निर्णय लेगा और ऐसे मापदंड निर्धारित करेगा।

5. परीक्षा के आधार पर, चयन बोर्ड उपयुक्त अभ्यर्थियों की एक चयन सूची तैयार करेगा जो इन पदों पर उनकी नियुक्ति पर विचार करने के लिए योग्यता के क्रम में तथा घोषित रिक्त पदों की संख्या के अनुसार जारी की जाएगी और बोर्ड एक आरक्षित सूची भी तैयार करेगा। इस आरक्षित सूची का उपयोग उस स्थिति में किया जाएगा जब अंतिम सूची में शामिल कोई व्यक्ति घोषित रिक्त पदों में से किसी पर कार्यग्रहण नहीं करता है। यदि सभी घोषित रिक्त पद अंतिम सूची में शामिल अभ्यर्थियों से भर लिए जाते हैं तो यह आरक्षित सूची स्वतः रद्द हो जाएगी।

6. अंतिम सूची की वैधता सामान्य रूप से एक वर्ष होगी:

बशर्ते कि अंतिम सूची की वैधता घोषित रिक्त पद भरे जाने तक, यथा स्थिति, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के सचिव द्वारा 1 वर्ष से अधिक कर दी जाती है।

अनुसूची IV

(नियम 9 देखें)

अनुसूची- I में विभिन्न पदों के लिए यथा उपबंधित विभागीय पदोन्नति समिति के कार्य

1. **समिति के कार्य** - विभागीय पदोन्नति समिति निम्नलिखित सभी मामले देखेगी:

- (i) सरकारी कर्मचारियों की चयन एवं अचयन पदों पर पदोन्नति ;
- (ii) सरकारी कर्मचारियों का उनके संबंधित ग्रेड या पद में स्थायीकरण ;

- (iii) परिवीक्षार्थियों के कार्य और आचरण का आकलन ताकि उनको सेवा में बनाए रखने के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में या उन्हें सेवामुक्त कर दिए जाने के बारे में या उनकी परिवीक्षा की निर्धारित अवधि को बढ़ा दिए जाने के बारे में निर्णय लिया जा सके।

2. **अपनाई जाने वाली प्रक्रिया** - पैनल तैयार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करेगी:

क) लेवल 12 और उससे ऊपर के विभिन्न लेवल पर पदोन्नति के लिए -

- (i) पदोन्नति की पद्धति अनुसूची 1 में संबंधित पद के सामने दी गई पद्धति के अनुसार होगी।
- (ii) बेंचमार्क 'बहुत अच्छा' होगा।
- (iii) डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) अधिकारियों का मूल्यांकन बेंचमार्क 'बहुत अच्छा' के संदर्भ में केवल 'योग्य' या 'अयोग्य' होने का ही करेगी। जिन्हें 'योग्य' श्रेणी में रखा जाएगा, केवल उन्हें ही डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) द्वारा तैयार किए गए चयन पैनल में उनके फीडर ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता के क्रम में शामिल किया जाएगा।

ख) लेवल 12 से नीचे के ग्रेडों पर पदोन्नति के लिए (इसमें निचले समूह से ग्रुप 'क' के पदों/ग्रेडों/सेवाओं में की गई पदोन्नति भी शामिल है)

- (i) पदोन्नति 'चयन' पद्धति से की जाएगी।
- (ii) बेंचमार्क 'अच्छा' होगा।
- (iii) डीपीसी उक्त श्रेणियों के पदों/ग्रेडों/सेवाओं में पदोन्नति के लिए अधिकारियों को 'अच्छा' के बेंचमार्क के संदर्भ में 'योग्य' या 'अयोग्य' श्रेणी में वर्गीकृत करेगी। जिन्हें 'योग्य' श्रेणी में रखा जाएगा केवल उन्हें ही डीपीसी द्वारा तैयार किए गए चयन पैनल में उनके फीडर ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता के क्रम में शामिल किया जाएगा।

3. **अचयन पदों पर पदोन्नति** .— जहां भर्ती नियमों के अनुसार अचयन आधार पर पदोन्नतियां की जानी होती हैं वहां विभागीय पदोन्नति समिति को अधिकारियों के रिकॉर्ड का तुलनात्मक मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं होती है और इसे अधिकारियों को पदोन्नति के लिए उनके सेवा रिकॉर्ड के मूल्यांकन के आधार पर 'योग्य' या 'अयोग्य' श्रेणी में वर्गीकृत करना चाहिए। 'योग्य' श्रेणी में वर्गीकृत किए गए अधिकारियों को उस ग्रेड में उनकी वरिष्ठता के क्रम में पैनल में शामिल किया जाएगा जिससे पदोन्नतियां की जानी हैं।

4. **स्थायीकरण के लिए**.—स्थायीकरण के मामले में विभागीय पदोन्नति समिति को अधिकारियों की सापेक्ष योग्यता का निर्धारण नहीं करना चाहिए बल्कि इसे स्थायीकरण के लिए अधिकारियों के 'योग्य' या 'अयोग्य' होने का मूल्यांकन उनकी बारी के अनुसार उस पद पर उनके कार्य निष्पादन के आधार पर करना चाहिए जैसे सेवा रिकॉर्ड के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाता है।

5. **परिवीक्षा**.—परिवीक्षा के मामले में विभागीय पदोन्नति समिति को अधिकारियों की सापेक्ष ग्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि केवल यह तय करना चाहिए कि उनके द्वारा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर लिए जाने की घोषणा की जा सकती है या नहीं। अगर किसी भी परिवीक्षार्थी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है तो विभागीय पदोन्नति समिति यह सलाह दे सकती है कि उसकी परिवीक्षा की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए या उसे सेवा से हटा दिया जाना चाहिए।

6. **समिति की बैठकें.**—विभागीय पदोन्नति समिति नियमित अंतरालों पर या राष्ट्रपति के सचिव द्वारा दिए गए निदेशानुसार बैठक करेगी और विभिन्न पैनल तैयार करेगी जिसका उपयोग एक वर्ष के दौरान रिक्त होने वाले पदों पर पदोन्नति किए जाने के लिए किया जाएगा। समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया पैनल नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार, आम तौर पर 1 वर्ष के लिए वैध होगा। यह यथा स्थिति राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के सचिव द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 1 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर या विस्तारित अवधि की समाप्ति पर या कोई नया पैनल तैयार किए जाने पर इनमें से जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएगा। पदोन्नति उस क्रम में की जाएगी जिसमें अभ्यर्थियों को पैनल में रखा जाएगा।

अनुसूची -V

राष्ट्रपति सचिवालय के वरिष्ठ सचिवालय सहायक (सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा) के संचालन के लिए विनियम

1. **परिभाषाएँ** --- (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो -

(क) 'निर्णायक तारीख' का अर्थ है परीक्षा आयोजित किए जाने वाले संबंधित कैलेंडर वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थी ने कनिष्ठ सचिवालय सहायक के ग्रेड में न्यूनतम 5 वर्ष की अनुमोदित और निरंतर सेवा पूरी कर ली है।

परन्तु अगर उसे सीमित विभागीय परीक्षा सहित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम घोषित होने पर कनिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड में नियुक्त किया गया था, तो उस परीक्षा का परिणाम इस अंतिम तारीख से कम से कम 5 साल पहले घोषित किया गया होना चाहिए और इस ग्रेड में उसकी न्यूनतम 4 वर्ष की अनुमोदित और निरंतर सेवा पूरी होनी चाहिए।

(ख) "परीक्षा" का अर्थ है नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा आयोजित की गई अर्हक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन जिन्हें राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2017 में परिभाषित किया गया है, का अर्थ वही होगा जैसा इन नियमों में है।

2. **परीक्षा का आयोजन :**

- (1) राष्ट्रपति सचिवालय में वरिष्ठ सचिवालय सहायक पद के लिए परीक्षा का आयोजन नियुक्ति प्राधिकारी अथवा उसकी ओर से प्राधिकृत किए गए किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- (2) वित्तीय वर्ष में रिक्त होने वाले पदों को भरने के लिए उस वित्तीय वर्ष में एक बार परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- (3) परीक्षा की तारीख (तारीखों), समय और स्थान का निर्धारण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

3. परीक्षा देने के लिए पात्रता की शर्तें -

- (1) ऊपर 1 (क) में यथा वर्णित स्थायी या नियमित रूप से नियुक्त कनिष्ठ सचिवालय सहायक ।
- (2) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति पर गए कनिष्ठ सचिवालय सहायक भी अन्यथा उपयुक्त होने पर परीक्षा में भाग लेने के पात्र हैं ।
- (3) बाह्य संवर्ग पद पर स्थानांतरण आधार पर नियुक्त किया गया ऐसा कनिष्ठ सचिवालय सहायक जिसका राष्ट्रपति सचिवालय में कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर लियन नहीं है इस परीक्षा में भाग लेने का पात्र नहीं होगा ।

4. **आयु** : ऐसे कनिष्ठ सचिवालय सहायक परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे लेने जिनकी आयु 'निर्णायक तारीख' को 50 वर्ष से अधिक हो ।

5.(1) निम्नलिखित योजना के अनुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी :-

भाग 1 : उप-विनियम 2 में बताए गए अनुसार अधिकतम 300 अंकों की लिखित परीक्षा

भाग 2: लिखित परीक्षा में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मानक रिक्त पदों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यथा निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानक प्राप्त करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की सेवा के रिकार्ड का मूल्यांकन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा । सेवा रिकार्ड के अधिकतम अंक 100 हैं ।

विषय (1)	अधिकतम अंक (2)	समय (3)
पेपर- I :(वस्तुनिष्ठ) क) सामान्य ज्ञान 100 प्रश्न ख) अंग्रेजी भाषा की समझ और लेखन क्षमता 100 प्रश्न	200	2 घंटे
पेपर- II टिप्पणी -लेखन, प्रारूपण और कार्यालय पद्धति	200	2 घंटे

पेपर 1 वस्तुनिष्ठ-बहु-विकल्पीय होगा, जबकि पेपर 2 वर्णनात्मक स्वरूप का होगा

(2) परीक्षा का पाठ्यक्रम विनियमों में उल्लेखानुसार होगा ।

टिप्पणी 1 : अभ्यर्थी को टिप्पणी-लेखन, प्रारूपण और कार्यालय पद्धति संबंधी पेपर 2 के उत्तर अंग्रेजी या हिंदी दोनों में से किसी भी एक भाषा में देने का विकल्प होगा ।

टिप्पणी 2 : यह विकल्प एक ही पेपर में अलग-अलग प्रश्नों के लिए न होकर एक संपूर्ण पेपर के लिए होगा । अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचित निर्धारित तारीख तक अपना विकल्प देना होगा ।

(3) परीक्षा के सभी विषयों के लिए क्रमबद्ध, प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति को श्रेय दिया जाएगा।

6. परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा:-

पेपर - I

- (क) **सामान्य ज्ञान** - प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों का इस दृष्टि से परीक्षण करना होगा कि वे अपने परिवेश के बारे में कितने जागरूक हैं और वे इस ज्ञान का समाज के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं। सामयिक घटनाओं और हर रोज़ दिखाई देने वाले और अनुभव किए जाने वाले मामलों के वैज्ञानिक पहलुओं के ऐसे ज्ञान का परीक्षण करने के लिए भी प्रश्न तैयार किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी होने की उम्मीद एक शिक्षित व्यक्ति से की जाती है। परीक्षा में भारत और इसके पड़ोसी देशों से संबंधित, विशेष रूप से इतिहास, संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्रीय परिदृश्य, सामान्य राजनीति और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे।
- (ख) **अंग्रेजी भाषा की समझ और लेखन क्षमता** - अभ्यर्थियों की अंग्रेजी भाषा की समझ और जानकारी, शब्दावली, वर्तनी, व्याकरण, वाक्य संरचना, समानार्थी शब्दों, विपरीतार्थी शब्दों, वाक्य पूरा करना, वाक्यांशों, शब्दों के मुहावरेदार उपयोग आदि का परीक्षण करने के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे। किसी अनुच्छेद के अर्थग्रहण संबंधी एक प्रश्न भी पूछा जाएगा।

पेपर - II

टिप्पणी-लेखन, प्रारूपण और कार्यालय पद्धति - टिप्पणी-लेखन, प्रारूपण और कार्यालय पद्धति पर लिया जाना वाला पेपर सचिवालय में कार्यालय पद्धति के संबंध में अभ्यर्थियों की जानकारी की परीक्षा लेने और सामान्यतया टिप्पणी लिखने और समझने तथा मसौदा तैयार करने की उनकी योग्यता का आकलन करने के लिए तैयार किया जाएगा।

7. योग्यता सूची-

- (1) परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले रिक्त पदों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।
- (2) योग्यता सूची परीक्षा के परिणामों के आधार पर योग्यता के क्रम में और भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या के अनुसार परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी तथा इसे तैयार करते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वर्गों के व्यक्तियों के आरक्षण से संबंधित आदेशों को ध्यान में रखा जाएगा।

8. चयन सूची -

(1) वरिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए चयन सूची मौजूदा और अनुमानित रिक्त पदों को ध्यान में रखते निम्नलिखित अभ्यर्थियों में से 3:1 के अनुपात में तैयार की जाएगी :

- (क) उस कांडर में कनिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड के पदधारी जिन्होंने ग्रेड में कम से कम 8 साल की नियमित सेवा की है और उस ग्रेड में वरिष्ठता की रैंज में हैं।

- (ख) चौथी रिक्ति पर उस पदधारी को नियुक्त किया जाएगा जिसका नाम विनियम 7 के तहत तैयार की गई योग्यता सूची में आता है और जिसे विभागीय पदोन्नति समिति संगत नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए उपयुक्त घोषित करती है।
- (2) उक्त दो श्रेणियों के व्यक्तियों को बारी-बारी से श्रेणी (क) से 3 व्यक्ति और श्रेणी (ख) से 1 व्यक्ति लेते हुए और इसी क्रम में बढ़ते हुए चयन सूची में शामिल किया जाता है।
- (3) चयन सूची संगत नियमों और अनुदेशों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।
- (4) इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों की परस्पर रैंकिंग उनकी योग्यता के क्रम में होगी और जिन व्यक्तियों ने कोई पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण की है उन सभी को बाद में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तियों से वरिष्ठ माना जाएगा। वे रिक्त पद जो एक वर्ष में ऐसी पदोन्नति के लिए योग्य कनिष्ठ सचिवालय सहायक के अभाव में नहीं भरे जा सकेंगे उन्हें परीक्षा के आधार पर चयनित उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

[फा. सं. ए-35011/6/06-प्रशासन]

एस. एन. एस. प्रकाश, अवर सचिव (प्रशा.)

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 29th December, 2017

PRESIDENT'S SECRETARIAT (RECRUITMENT AND CONDITIONS OF SERVICES) RULES 2017

G.S.R. 55.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and of all other powers enabling in this behalf, the President hereby amends the President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2007 and makes the following amended rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to posts in the President's Secretariat, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(a) These rules may be called the President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2017.

(b) They shall be deemed to have come into force on the 2nd June 2017.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires -

(a) "deputation" means the temporary transfer of the services of an officer to the Secretariat and vice versa, where the terms of transfer are regulated under the orders of the Central Government contained in the Government of India, Department of Personnel and Training O.M. No. 6/8/2009-Estt. (Pay II), dated 17th June, 2010, as amended from time to time;

(b) "officer" means a person appointed to, or borne on the cadre of Secretariat.

(c) "post" means a post in the Secretariat and includes :-

(i) a Civilian post as specified in Schedule-I;

(ii) a co-terminus post as specified in Schedule-II; and

(iii) a tenure post as specified in Schedule III and held by an officer of the Defence Services posted for duty in the Secretariat.

- (d) “President” means the President of India.
- (e) “Schedule” means a Schedule appended to these rules;
- (f) “Secretariat” means the President’s Secretariat and includes the Regular establishment pertaining to the Gardens attached to the President’s Estate, but does not include –
- (i) Staff borne on the Household Establishment of the Secretariat, and
 - (ii) Workcharged Establishment of the Gardens to the President’s Estate.
3. Name, classification and LEVEL in the PAY MATRIX of Posts –
- (a) The names of the posts, their classification and the LEVEL in the PAY MATRIX attached thereto, shall be as specified in Schedules I, II and III.
- Provided that the appointing authority may from time to time, by general or special order amend or alter the classification or the LEVEL in the PAY MATRIX of any post, or the LEVEL in the PAY MATRIX of an officer, in accordance with the orders of the Central Government in this regard from time to time.
- (b) The number of permanent and temporary posts specified in Schedules I, II and III, shall be such as are included in the budget of the year with the sanction.
4. **Co-terminus posts.**—The posts specified in Schedule II are tenable by the incumbents during the pleasure of the President and shall be co-terminus with the each President. The persons holding co-terminus appointments in the Secretariat or Household Establishment of the President’s Secretariat shall not be eligible for absorption or regular appointment in the President’s Secretariat; however, such incumbents if otherwise meet all prescribed conditions and qualifications (including age), they would be eligible to compete on equal basis with candidates for direct recruitment.
5. **Posts paid from Defence Estimates.**—The posts specified in Schedule III are tenable during the pleasure of the President by officers of the Defence Services who shall be governed in all matters regulating their conditions of service by such rules as are applicable to officers holding corresponding rank in the Defence Services subject to such modifications, as the President may, by general or special order, specify.
6. **Appointing authority.**—Appointments to the posts shall be made by the respective authorities specified in the schedules.
7. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in Schedules I, II, III and IV.
8. **Direct recruitment.**—Where in respect of a post specified in Schedule I, the method of recruitment is direct recruitment –
- (a) DPC as specified under the respective post in the Schedule will function as Selection Board;
 - (b) The Selection Board as under clause (a) shall follow the procedure as specified in Schedule III-A.
9. **Promotion.**—Where in respect of a post specified in the Schedule the method of recruitment is by promotion –
- (a) the recruitment shall, subject to the conditions specified in that Schedule and subject to the provisions of rule 14.
 - (i) in the case of promotion to any post in Group A or Group B (Gazetted), be made by Selection, irrespective of seniority.
 - (ii) in the case of promotion to any other post, be made on the Non-Selection basis;
 - (b) the Departmental Promotion Committee as specified will recommend suitable candidates for promotion to such posts and the said Committee shall follow the procedure specified in Schedule-IV.

NOTE: “Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.”

10. **Deputation and absorption.**—An officer while on deputation or absorption in this Secretariat shall be governed by such general terms and conditions of deputation or absorption as may be laid down by the Central Government from time to time, or such terms and conditions as may be settled between his parent office and the Secretariat, in consultation with the Ministry of Finance, where necessary.

11.(1) **Seniority.**—(a) Direct recruits – The relative seniority of all direct recruits shall be determined by the order of merit in which they are selected for such appointment, unless otherwise specified in the order of appointment.

Provided further that the seniority of a person regularly appointed to a post shall be determined by the order of merit indicated at the time of initial appointment and not date of confirmation.

(b) Promotees –

- (i) The relative seniority of persons promoted to Selection posts shall be determined in the order of selection for such promotion.
- (ii) The relative seniority of persons promoted to Non-Selection posts shall be determined in the order in which such persons are promoted.

Provided that where persons are promoted to such posts on the same day, the relative seniority of such persons shall be the same as the relative seniority in the lower grades from which they are promoted.

Provided further that where persons promoted initially on a temporary basis are confirmed subsequently in an order different from the order of merit indicated at the time of their promotion, seniority would be determined by the order indicated at the time of initial appointment and not according to the date of confirmation.

- (c) Deputation or Absorption – In the case of appointments by deputation or absorption, seniority of a person shall be determined at the time of absorption with due regard to his length of service in equivalent posts and other relevant factors.

11.(2) The provision of sub-rule (1) shall apply to all appointments made on or after the date of commencement of these rules and the relative seniority of persons appointed before such date in the Secretariat to any grade shall be in accordance with the orders in force at that time.

12. **Probation and confirmation** – (a) Candidates appointed to posts in the Secretariat, either by direct recruitment or by promotion shall be on probation for the period specified in Schedule-I.

Provided that the appointing authority may, at its discretion, take into account for the purpose of computing the said period –

- (i) any period of service rendered by the candidate in posts carrying equivalent or higher responsibilities;
- (ii) in the case of a promotee to any post, any period of officiating service rendered by him in that post:

Provided further that the period of probation may, in the case of a particular person or post, be extended by order of the appointing authority.

Provided also that the appointing authority may require a candidate to undergo during the period of probation such courses of training and to pass such tests as it may think fit, as a condition to the satisfactory completion of the period of probation.

- (b) On the completion of the period of probation, the candidates shall, if considered fit for permanent appointment, be confirmed in their appointments, only once in the service of an official which shall be in the entry grade.
- (c) If on the expiration of the period of probation or of any extended period thereof, or during the period of probation, as the case may be, the appointing authority is of opinion that the candidate is not fit for

permanent appointment, it may discharge him or revert to his previous post, without assigning any reason or pass such orders as it may think fit.

13. **Conditions of service –**

- (a) **General** – In respect of all matters regulating the conditions of service of officers for which no provision has been made in these rules, the officers shall be governed by such rules as are applicable to the officers holding posts in the corresponding LEVEL in the PAY MATRIX in the Central Secretariat, subject to such modifications, variations or exceptions, if any, in any such rule, as the President may, from time to time, by order, specify.
- (b) **Transfer** – Every employee shall be liable to be posted anywhere in India more particularly to ‘The Retreat’, Mashobra, Shimla and ‘Rashtrapati Nilayam’, Bolarum, Secunderabad, Hyderabad and to the places where the President’s establishment for the time being may be.
- (c) **Conduct** – Every officer shall be governed by the Central Civil Service (Conduct Rules), 1964, as amended from time to time, or such other corresponding rules as are applicable to the service of which he is a member.
- (d) **Discipline and control** – Every officer shall be governed by the Central Civil Service (Classification, Control and Appeal Rules), 1965, as amended from time to time, or such other corresponding rules as are applicable to the service of which he is a member.
- (e) **Temporary officers** – Every temporary officer shall be governed by the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, as amended from time to time.

14. **Savings –**

“Nothing in those rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard”.

15. **Regulations** – The President may make regulations, not inconsistent with these rules, to provide for all matters for which provision may be necessary or expedient for the purpose of giving effect to these rules.

16. **Power to relax** – The President may, if of opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, by order, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of officers. Reasons will be recorded in writing whenever action is taken invoking this rule.

17. **Interpretation** – All questions relating to the interpretation of these rules shall be referred to the President for decision.

18. **Repeal and Saving –**

- (a) Save as otherwise expressly provided in these rules, all rules and orders corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these amended rules are hereby repealed.
- (b) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the rules or orders so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

INDEX

Schedule I - Page No. 11 to 95

(Posts in the President’s Secretariat paid from Civil Estimates – Method of Recruitment)

<u>Sl.No.</u>	<u>Name of post</u>	<u>No. of posts</u>	<u>Level in Pay Matrix</u>	<u>Page No.</u>
General Central Service, Group ‘A’- Gazetted				
1	Secretary to the President	1	Level 17 (₹225000/-)	12
2	Joint Secretary to the President	1	Level 14 (₹144200-₹218200)	13

<u>Sl.No.</u>	<u>Name of post</u>	<u>No. of posts</u>	<u>Level in Pay Matrix</u>	<u>Page No.</u>
3	Joint Secretary-cum-Social Secretary to the President	1	Level 14 (₹144200-₹218200)	14
4	Physician to the President	1	Level 14 (₹144200-₹218200)	15
5	Director/Deputy Secretary to the President	2	Level 13 (₹123100-₹215900) / Level 12 (₹78800-₹209200)	16
6	Internal Financial Adviser	1	Level 13 (₹123100-₹215900) / Level 12 (₹78800-₹209200)	18
7	Press Secretary to the President	1	Level 13 (₹123100-₹215900)	19
8	Deputy Press Secretary to the President	1	Level 12 (₹78800-₹209200)	20
9	Comptroller, President's Household	1	Level 12 (₹78800-₹209200)	21
10	Joint Director	1	Level 12 (₹78800-₹209200)	22
11	Under Secretary	6	Level 11 (₹67700-₹208700)	24
12	Deputy Physician to the President	1	Level 11 (₹67700-₹208700)	25
13	Superintendent, President's Gardens	1	Level 11 (₹67700-₹208700)	26
14	Principal Private Secretary	2	Level 11 (₹67700-₹208700)	27
15	Deputy Director	1	Level 11 (₹67700-₹208700)	28
16	Public Relations Officer	1	Level 11 (₹67700-₹208700)	30
17	Curator	1	Level 10 (₹56100-₹177500)	32
18	Technical Officer	1	Level 10 (₹56100-₹177500)	34
19	Reception Officer	1	Level 10 (₹56100-₹177500)	36
General Central Service, Group 'B' – Gazetted				
20	Section Officer	24	Level 8 (₹47600-₹151100)	38
21	Private Secretary	9	Level 8 (₹47600-₹151100)	39
22	Assistant Library and Information Officer	1	Level 7 (₹44900-₹142400)	41
23	Photographic Officer	1	Level 7 (₹44900-₹142400)	43
24	Senior Technical Restorer	1	Level 7 (₹44900-₹142400)	45
General Central Service, Group 'B' – Non-Gazetted				
25	Senior Nursing Officer	1	Level 8 (₹47600-₹151100)	47
26	Public Health Nursing Officer	1	Level 8 (₹47600-₹151100)	48
27	Steno Grade 'C'	7	Level 7 (₹44900-₹142400)	49

<u>Sl.No.</u>	<u>Name of post</u>	<u>No. of posts</u>	<u>Level in Pay Matrix</u>	<u>Page No.</u>
28	Assistant Section Officer	53	Level 7 (₹44900-₹142400)	51
29	Nursing Officer	1	Level 7 (₹44900-₹142400)	52
30	Supervisor, Telephone Exchange	1	Level 7 (₹44900-₹142400)	53
31	Assistant Curator	1	Level 7 (₹44900-₹142400)	54
32	Senior Education Assistant	1	Level 7 (₹44900-₹142400)	56
33	Junior Photographer	1	Level 6 (₹35400-₹112400)	58
34	Technical Assistant	1	Level 6 (₹35400-₹112400)	60
35	Shift Supervisor	2	Level 6 (₹35400-₹112400)	61
36	Sectional Officer (Horticulture)	3	Level 6 (₹35400-₹112400)	62
General Central Service, Group 'C'				
37	Pharmacist	3	Level 5 (₹29200-₹92300)	63
38	Production Assistant	1	Level 5 (₹29200-₹92300)	65
39	Receptionist Grade-I	1	Level 5 (₹29200-₹92300)	68
40	Senior Secretariat Assistant	37	Level 4 (₹25500-₹81100)	69
41	Stenographer Grade 'D'	1	Level 4 (₹25500-₹81100)	70
42	Telephone Operator Grade-I	5	Level 4 (₹25500-₹81100)	72
43	Junior Photo Assistant	1	Level 4 (₹25500-₹81100)	74
44	Sanitary Supervisor	1	Level 4 (₹25500-₹81100)	76
45	Receptionist Grade-II	2	Level 4 (₹25500-₹81100)	78
46	Telephone Operator Grade-II	5	Level 2 (₹19900-₹63200)	79
47	Junior Secretariat Assistant	38	Level 2 (₹19900-₹63200)	81
48	Sanitary Fitter	1	Level 2 (₹19900-₹63200)	83
49	Record Keeper	4	Level 2 (₹19900-₹63200)	86
50	Multi Tasking Staff	69	Level 1 (₹18000-₹56900)	88
51	Anti Malaria-cum-Multi Tasking Staff	19	Level 1 (₹18000-₹56900)	90
52	Medical Female Attendant-cum-MTS	2	Level 1 (₹18000-₹56900)	92
53	Chowkidar	3	Level 1 (₹18000-₹56900)	94

Schedule II - Page No. 96 to 98

(Co-terminus posts in the President's Secretariat as on 25.7.2012 – Tenable for the duration of each President's term)

Schedule III - Page No. 99 to 103

(Posts in the President's Secretariat paid from Defence Estimates)

Schedule IIIA - Page No.104

(Constitution of the Selection Board and its Functions)

Schedule IV - Page No. 105 to 107

(Functions of the Departmental Promotion Committee as provided under different posts in Schedule I)

Schedule V - Page No. 108 to 111

(Regulations for conduct of President's Secretariat Senior Secretariat Assistant (Limited Departmental Competitive Examination))

“SCHEDULE-I”

Posts in the President's Secretariat paid from
Civil Estimates – Method of Recruitment

See Rule 2 (c) (i)

Sl.No.	1
(1) Name of post.	Secretary to the President.
(2) Number of post.	1* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3) Classification.	General Central Service, Group 'A'.
(4) LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 17 (₹225000/-).
(5) Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6) Age limit for direct recruits.	Not applicable.
(7) Educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable.
(8) Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9) Period of probation, if any.	Not applicable.
(10) Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By deputation.
(11) In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	Secretaries in the Central Government or officers eligible to hold the post of Secretary in the Central Government.
(12) If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Not applicable.
(13) Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: The President

Remarks: The incumbent will hold the post during the pleasure of the President.

	Sl.No.	2
(1)	Name of post.	Joint Secretary to the President.
(2)	Number of post.	1* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'A'.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 14 (₹144200-₹218200).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	Not applicable.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Not applicable.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By deputation.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	Joint Secretaries in the Central Government or officers eligible to hold the post of Joint Secretary in the Central Government.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Not applicable.
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: The President

Remarks: The incumbent will hold the post during the pleasure of the President.

	Sl.No.	3
(1)	Name of post.	Joint Secretary-cum-Social Secretary to the President.
(2)	Number of post.	1* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'A'.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 14 (₹144200-₹218200).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	Not applicable.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable.
(8)	Whether age and educational	Not applicable.

	qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	
(9)	Period of probation, if any.	Not applicable.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By deputation.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	Indian Foreign Service Officers of Joint Secretary Level in the Central Government or IFS officers eligible to hold the post of Joint Secretary in the Central Government.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Not applicable.
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: The President

Remarks: The incumbent will hold the post during the pleasure of the President.

	Sl.No.	4
(1)	Name of post.	Physician to the President.
(2)	Number of post.	1* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'A'.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 14 (₹144200-₹218200) plus Non-Practising Allowance as admissible (Military appointee will carry his own LEVEL in the PAY MATRIX plus Non-Practising Allowance as admissible).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	Not applicable.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Not applicable.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By deputation.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	By deputation from Central Health Service holding the post of, or eligible to be appointed as a Consultant in Level 14 (₹144200-₹218200) or suitable Armed Forces Medical Services Officers of equivalent rank.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Not applicable.
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: The President

Remarks: The incumbent will hold the post during the pleasure of the President.

	Sl.No.	5
(1)	Name of post.	Director/Deputy Secretary to the President.
(2)	Number of post.	2* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'A'.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	The post of Director/Deputy Secretary may be operated either at the level of Director [Level 13 (₹123100-₹215900)] or at the level of Deputy Secretary [Level 12 (₹78800-₹209200)].
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Selection.
(6)	Age limit for direct recruits.	Not applicable.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Not applicable.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion or on deputation.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	At the level of Director, if by promotion, promotion from amongst Deputy Secretaries in the President's Secretariat with a minimum of 5 years' regular service in the grade of Deputy Secretary. If by deputation, deputation from amongst Directors, Deputy Secretaries in the Central Government or persons eligible to be so appointed. If operated at the level of Deputy Secretary then by promotion from amongst Under Secretaries in the President's Secretariat who have put in at least 5 years' regular service in the grade of Under Secretary. If by deputation, deputation from amongst Deputy Secretaries in the Central Government or persons eligible to be so appointed.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	For Director Secretary to the President, Joint Secretary to the President and an officer of Joint Secretary's level as may be nominated by the Secretary to the President For Deputy Secretary Secretary to the President, Joint Secretary to the President and JS-SSP.
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: The President

	Sl.No.	6
(1)	Name of post.	Internal Financial Adviser.
(2)	Number of post.	1* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'A'.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	The post of Internal Financial Adviser may be operated either at the level of Director [Level 13 (₹123100-₹215900)] or at the level of Deputy Secretary [Level 12 (₹78800-₹209200)].
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	Not applicable.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Not applicable.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By deputation.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	By deputation from amongst Group 'A' Officers of any organized Accounts Services holding analogous post.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Not applicable.
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: The President

	Sl.No.	7
(1)	Name of post.	Press Secretary to the President.
(2)	Number of post.	1* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'A'.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 13 (₹123100-₹215900).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	Not applicable.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Graduate of a recognized University having experience of media/public relations and journalism.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.

(9)	Period of probation, if any.	Not applicable.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	At the discretion of the appointing authority.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	Not applicable.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Not applicable.
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: The President

Remarks: The incumbent will hold the post during the pleasure of the President.

	Sl.No.	8
(1)	Name of post.	Deputy Press Secretary to the President.
(2)	Number of post.	1* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'A'.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 12 (₹78800-₹209200).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	Not applicable.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Graduate of a recognized University having experience of media/public relations and journalism.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Not applicable.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	At the discretion of the appointing authority.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	Not applicable.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Not applicable.
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: The President

Remarks: The incumbent will hold the post during the pleasure of the President.

	Sl.No.	9
(1)	Name of post.	Comptroller, President's Household.
(2)	Number of post.	1* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'A'.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 12 (₹78800-₹209200). Military appointee will carry his own Pay Band, Grade Pay, Military Service Pay and Allowances etc., as admissible.
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	Not applicable.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Not applicable.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By deputation
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	By deputation from amongst Officers of equivalent grades in Public Sector Undertakings as Manager in Hotel Establishment with 5 years experience or from Armed Forces having 5 years' experience of Catering or at the discretion of the appointing authority.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Secretary to the President, Joint Secretary to the President and Military Secretary to the President.
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: The President

Remarks: The incumbent will hold the post during the pleasure of the President.

	Sl.No.	10
(1)	Name of post.	Joint Director.
(2)	Number of post.	1* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	LEVEL 12 [₹78,800-₹2,09,200]
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Selection.
(6)	Age limit for direct recruits.	Not applicable.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable.

(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Not applicable.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By deputation including short term contract
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	<p><u>For Deputation</u> Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutes or Semi Government or Statutory or autonomous organizations: - (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre Department with an experience of three years; OR (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level 11 (₹67700-₹208700) or equivalent in the parent cadre or Department; and Possessing the following educational qualifications and experience :- (i) Master's degree in History with knowledge of Modern Indian History or Master's degree in Museology/Heritage Management, both from a university/institution recognised by the University Grants Commission; and (ii) Ten years' experience in a senior position in a Museum of repute, demonstrating leadership quality in various facets of museum-related work of collection, documentation, research, dissemination of information, updating and development of exhibits and educational programs, and application of latest IT techniques in museums.</p> <p>Note 1: Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: Departmental candidate possessing the requisite qualification and experience can also apply.</p> <p>Contract may be awarded to the persons possessing the educational qualification and experience required for the post on consolidated negotiable remuneration. Tenure of contract will be decided by the competent authority.</p>
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Not applicable
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: The President

	Sl.No.	11
(1)	Name of post.	Under Secretary.
(2)	Number of post.	6* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'A'.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 11 (₹67700-₹208700).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Selection.
(6)	Age limit for direct recruits.	Not applicable.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Two years.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion, failing which by deputation.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If by promotion, promotion from amongst Section Officers with 6 years' regular service in the grade. If by deputation, selection from amongst officers of the rank of regular Under Secretary in Central Secretariat or equivalent in the State Governments or regular Section Officers of Central Secretariat Service with 6 years' regular service in the grade.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Joint Secretary to the President, Internal Financial Adviser and Director/Deputy Secretary.
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: The President

	Sl.No.	12
(1)	Name of post.	Deputy Physician to the President.
(2)	Number of post.	1* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'A'.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 11 (₹67700-₹208700) plus Non-Practicing Allowance as admissible.
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	Not applicable.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of	Not applicable.

	promotees.	
(9)	Period of probation, if any.	Not applicable.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By deputation.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	By deputation from amongst Officers of the Central Health Service of the rank of, or eligible to be appointed as Senior Medical Officer in Level 11 (₹67700-₹208700) possessing qualification of Post Graduate degree in Medicine or equivalent in the relevant field with 7 years' experience in recognized Hospital or Institution or suitable Armed Forces Medical Service Officers of appropriate rank.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Joint Secretary to the President, Physician to the President and Director/Deputy Secretary.
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: The President

	Sl.No.	13
(1)	Name of post	Superintendent, President's Gardens.
(2)	Number of post	1* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification	General Central Service, Group 'A'.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX	Level 11 (₹67700-₹208700).
(5)	Whether selection post or non-selection post	Selection.
(6)	Age limit for direct recruits	Not applicable.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any	Two years for promotee.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	By promotion failing which by deputation.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	(i) Promotion: from Sectional Officers (Horticulture) with 10 years' qualifying service. (ii) Deputation: By deputation from amongst Officers holding analogous post of Deputy Director rank in Level 11 (₹67700-₹208700) in Horticulture Department of Central Government or equivalent grade in the State Government or Government autonomous body and possessing qualification of Bachelor's degree in Agriculture Sciences of a recognized University with 5 years' experience in Horticulture operations.
(12)	If a Departmental Promotion Committee	Joint Secretary to the President, Internal Financial Adviser and

	exists, what is its composition	Director/Deputy Secretary.
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: The President

	Sl.No.	14
(1)	Name of post	Principal Private Secretary.
(2)	Number of post	2* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification	General Central Service, Group 'A'.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX	Level 11 (₹67700-₹208700).
(5)	Whether selection post or non-selection post	Selection.
(6)	Age limit for direct recruits	Not applicable.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any	Two years.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	By promotion failing which by deputation.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	Promotion from amongst Private Secretaries with 6 years' regular service in the grade. If by deputation, selection from among officers of the rank of Principal Private Secretary in the Central Secretariat Stenographers' Service or Private Secretary of Central Secretariat Stenographers' Service with 6 years' regular service in the grade.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Joint Secretary to the President, Internal Financial Adviser and Director/Deputy Secretary.
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Not applicable.

Appointing Authority: The President

	Sl.No.	15
(1)	Name of post	Deputy Director.
(2)	Number of post	1* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX	LEVEL 11 [₹67,700-₹2,08,700]
(5)	Whether selection post or non-selection post	Selection.
(6)	Age limit for direct recruits	Not applicable.

(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any	Two years for promotee
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion failing which by deputation
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	<p><u>Promotion:</u></p> <p>Promotion from Curator/ Education Officer in President's Secretariat in Level 10 (₹56100-₹177500) with five years' regular service in the grade and possessing following educational qualifications and experience:</p> <p>(i) Master's degree in History with knowledge of Modern Indian History or Master's degree in Museology/Heritage Management, both from a university/institution recognised by the University Grants Commission;</p> <p>(ii) Ten years' experience in curatorial work in a Museum of repute; well-versed in several aspects of museum- related work of collection, documentation, research, dissemination of information, updating and development of exhibits and educational programs, and application of latest IT techniques in museums.</p> <p>OR</p> <p>Ten years' experience in educational services in a Museum of repute; well-versed in philosophy and technology of museum education and application of latest IT techniques in museums.</p> <p><u>For deputation:</u></p> <p>Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutes or Semi Government or Statutory or autonomous organizations holding analogous post on regular basis in the parent cadre Department possessing the above-mentioned educational qualifications and experience required for promotion.</p> <p>Note 1: Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not</p>

		exceeding 50 years as on the closing date of receipt of applications.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	ASP/JSP, IFA and Director/Deputy Secretary
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Not applicable.

Appointing Authority: The President

	Sl.No.	16
(1)	Name of post	Public Relations Officer.
(2)	Number of post	1* [2017] *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX	LEVEL 11 [₹67,700-₹2,08,700]
(5)	Whether selection post or non-selection post	Selection.
(6)	Age limit for direct recruits	Not applicable.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any	Two years for promotee.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	By promotion failing which by deputation/ absorption
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	<p>Promotion: Reception Officer in President's Secretariat in Level 10 (₹56100-₹177500) with five years' regular service in the grade possessing the following qualification: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Degree of a recognised University or equivalent. 2. Five years of experience in the Supervisory capacity in public relation/publicity/printing and publishing. <p>Deputation/absorption: From persons holding - (i) analogous posts in Level 11 (₹67700-₹208700) in Central/State Government, possessing the qualifications required for promotion.</p> <p>Or, (ii) holding analogous post in Level 10 (₹56100-₹177500) with five years' regular service in the grade possessing qualification required for promotion.</p> <p>Note 1: Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p>

		Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	ASP/JSP, IFA and Director/Deputy Secretary
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: President

	Sl.No.	17
(1)	Name of post	Curator
(2)	Number of post	1* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX	LEVEL 10 [₹56,100-₹1,77,500]
(5)	Whether selection post or non-selection post	Selection.
(6)	Age limit for direct recruits	Not exceeding 35 years (relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government).
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits	(i) Master's degree in History with knowledge of Modern Indian History or Master's degree in Museology/Heritage Management, both from a university/institution recognised by the University Grants Commission; (ii) Five years' experience in curatorial work in a Museum of repute; well-versed in several aspects of museum-related work of collection, documentation, research, dissemination of information, updating and development of exhibits and educational programs, and application of latest IT techniques in museums.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Yes
(9)	Period of probation, if any	Two years.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	By promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	For Promotion: Promotion from Assistant Curator in President's Secretariat in Level 7 (₹44900-₹142400) with five years' regular service in the grade and possessing educational qualifications and experience required for direct recruits. For deputation:

		Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutes or Semi Government or Statutory or autonomous organizations holding analogous post on regular basis in the parent cadre Department possessing the above-mentioned educational qualifications and experience required for promotion. Note 1: Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 50 years as on the closing date of receipt of applications.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	ASP/JSP, IFA and Director/Deputy Secretary
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: The President

	Sl.No.	18
(1)	Name of post	Technical Officer.
(2)	Number of post	1* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX	LEVEL 10 [₹56,100-₹1,77,500]
(5)	Whether selection post or non-selection post	Selection.
(6)	Age limit for direct recruits	Not applicable.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any	Two years for promotee.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	By promotion failing which by deputation
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	<u>For Promotion:</u> Promotion from Technical Assistant in Household Establishment of the President's Secretariat in Level 7 (₹44900-₹142400) with five years' regular service in the grade and possessing following educational qualifications and experience: (i) Bachelors' degree in Electronics or Computer

		<p>Engineering from a recognised University/Institution;</p> <p>(ii) Five years' experience in operation, maintenance and regular upgradation of computers and accessories, large-screen projectors, plasma screens etc.; well-versed with various museum-related work including visual documentation of collections, computer multi-media, interactive digital display, virtual reality etc.</p> <p><u>For deputation:</u></p> <p>Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutes or Semi Government or Statutory or autonomous organizations holding analogous post on regular basis in the parent cadre Department possessing the above-mentioned educational qualifications and experience required for promotion.</p> <p>Note 1: Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 50 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	ASP/JSP, IFA and Director/Deputy Secretary
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: The President

	Sl.No.	19
(1)	Name of post	Reception Officer.
(2)	Number of post	1* [2017] *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX	LEVEL 10 [₹56,100-₹1,77,500]
(5)	Whether selection post or non-selection post	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits	Not exceeding 35 years (relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions /orders issued by the Central Government).
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits	(i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) Five years of experience in the field of public relations.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not applicable.

(9)	Period of probation, if any	Two years for direct recruit.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	By deputation/ absorption failing which by direct recruitment
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	<p>Deputation/absorption: From persons holding analogous posts in Level 10 (₹56100-₹177500) in Central/State Government, possessing the qualifications required for direct recruits.</p> <p>Note 1: Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 45 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	ASP/JSP, IFA and Director
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: The President

	Sl.No.	20
(1)	Name of post	Section Officer.
(2)	Number of post	24* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification	General Central Service, Group 'B', Ministerial, Gazetted.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX	Level 8 (₹47600-₹151100).
(5)	Whether selection post or non-selection post	Selection.
(6)	Age limit for direct recruits	Not applicable.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any	One year.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	By promotion of Assistant Section Officers with at least 8 years' regular service.

(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Joint Secretary to the President, Internal Financial Adviser and Director/Deputy Secretary.
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Secretary to the President

	Sl.No.	21
(1)	Name of post.	Private Secretary.
(2)	Number of post.	9* [2017] *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'B', Ministerial, Gazetted.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 8 (₹47600-₹151100).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	Not applicable.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Two years for promotee.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion failing which by deputation.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	<p>Promotion: From amongst Steno Grade 'C' with at least <u>5 years</u>' regular service in the grade.</p> <p>Deputation: Officers holding the post of Stenographer under the Central Government (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade of Steno Grade 'C' rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 (₹44900-₹142400) or equivalent in the parent cadre or department.</p> <p>Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.</p>
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Joint Secretary to the President, Internal Financial Adviser and Director/ Deputy Secretary.
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Secretary to the President

	Sl.No.	22
(1)	Name of post.	Assistant Library and Information Officer.
(2)	Number of post.	1* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'B', Non-Ministerial, Gazetted.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 7 (₹44900-₹142400).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	Not exceeding 30 years, (Relaxable for Government servant upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Essential: (i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognized University/ Institute; (ii) Two years' professional experience in a Library under Central/State Government / Autonomous or Statutory organization/ PSU/ University or Recognized Research or Educational Institution. Desirable: (i) Master's Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognized University/ Institute. (ii) Diploma in Computer Applications from a recognized University or Institute NOTE: Qualifications are relaxable at the discretion of the appointing authority in case of candidates otherwise well qualified.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Two years for direct recruits.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By deputation failing which by direct recruitment.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	Deputation: By deputation from amongst officers under the Central or State Government or Union Territories- (a) (i) Holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with 5 years regular service in posts in the Level 6 (₹35400-₹112400) or equivalent; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Not applicable.
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Secretary to the President

	Sl.No.	23
(1)	Name of post.	Photographic Officer.
(2)	Number of post.	1* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'B', Non- Ministerial, Gazetted.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 7 (₹44900-₹142400).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Essential: (i) Bachelor's degree from a recognized University. (ii) Three years experience in various branches of photography including Press Photography in a News or Publicity Organisation with good theoretical and practical knowledge of dark room work. Desirable : Diploma in photography, experience of write ups of photographic features.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Age : No Educational Qualification : Yes
(9)	Period of probation, if any.	Two years.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	Promotion: By promotion of Junior Photographer with 5 years' regular service possessing the educational qualifications as specified in Column 7. Deputation: Officers holding the Photographer's post under the Central Government/State Government/Semi-Government Departments - (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in Photographer's grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Level 6 (₹35400-₹112400) or equivalent in the parent cadre or department. Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Joint Secretary to the President, Press Secretary to the President and Director (Admn) or Deputy Secretary (Admn).
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Secretary to the President

	Sl.No.	24
(1)	Name of post.	Senior Technical Restorer.
(2)	Number of post.	1* [2017] *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	LEVEL 7 [₹44,900-₹1,42,400]
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions /orders issued by the Central Government).
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	(i) Master's degree in Chemistry from a recognized University or equivalent degree from a recognized Institution. (ii) Five years' experience of restoration of museum objects preferable oil paintings and art objects on paper and cloth in an Institution or Museum. <u>Desirable :</u> Training in restoration in a reputed International or Indian Conservation Centre. NOTE: Qualifications are relaxable at the discretion of the appointing authority in case of candidates otherwise well qualified.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Two years for direct recruit.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By deputation failing which by direct recruitment.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	<u>For Deputation:</u> In case of deputation, deputation from persons holding analogous posts – (i) in Level 7 (₹44900-₹142400) , OR (ii) in Level 6 (₹35400-₹112400) with 5 years regular service in the grade, in Central/State Government Museums, possessing the qualifications for direct Recruits. Note 1: Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 45 years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	IFA, Director and Joint Director
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Joint Secretary to the President

	Sl.No.	25
(1)	Name of post.	Senior Nursing Officer.
(2)	Number of post.	1* [2017] *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'B', Non-Ministerial (Non-Gazetted).
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 8 (₹47600-₹151100).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Non-Selection.
(6)	Age limit for direct recruits.	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government).
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	12 th or equivalent with Grade 'A' certificate in Nursing and 2 years experience as Nursing Officer in a recognized Hospital.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Educational Qualification : Yes. Age : No.
(9)	Period of probation, if any.	Two years.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	(i) Promotion : From Nursing Officer with 5 years' regular service in the grade. (ii) By deputation : From persons holding analogous posts in Central or State Government/Semi-Government Health Services.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Director/Deputy Secretary, Physician/Deputy Physician and Under Secretary (Administration).
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Joint Secretary to the President

	Sl.No.	26
(1)	Name of post.	Public Health Nursing Officer.
(2)	Number of post.	1* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'B', Non-Ministerial (Non-Gazetted).
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 8 (₹47600-₹151100).

(5)	Whether selection post or non-selection post.	Non-Selection.
(6)	Age limit for direct recruits.	Not exceeding 40 years (relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government).
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Diploma in Public Health from a recognized Institution preferably with 8-10 years experience in organizing Health education, family welfare, maternity and well-baby clinics.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Educational Qualification: Yes. Age : No.
(9)	Period of probation, if any.	Two years.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	(i) Promotion: From Nursing Officer with 5 years' regular service in the grade. (ii) By deputation: From persons holding analogous posts in Central or State Government/Semi-Government Health Services.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Director/Deputy Secretary, Physician/Deputy Physician and Under Secretary (Administration).
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Joint Secretary to the President

	Sl.No.	27
(1)	Name of post.	Steno Grade 'C'.
(2)	Number of post.	7* [2017] *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'B', Ministerial (Non-Gazetted).
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 7 (₹44900-₹142400).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Non-Selection.
(6)	Age limit for direct recruits.	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government).
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	(i) 12 th class pass or equivalent from a recognized Board or University. (ii) Skill test norms: Continuous Dictation: 10 mts @100 w.p.m. Transcription of the above dictation, <i>on computer</i> , in 40 minutes if in English and 55 minutes if in Hindi.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	No.
(9)	Period of probation, if any.	Two years.

(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	85% by direct recruitment and 15% by promotion failing which by deputation from Central Government.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	(i) Promotion: From amongst Grade 'D' Stenographers with at least 5 years' regular service in the grade. (ii) By deputation: From persons holding analogous posts in Central Government. (iii) One post of Steno Grade 'C' will be exclusively filled by a Hindi Steno either by promotion or by direct recruitment or by deputation.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Internal Financial Adviser, Director/Deputy Secretary, and Under Secretary (Administration)
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Joint Secretary to the President

	Sl.No.	28
(1)	Name of post.	Assistant Section Officer.
(2)	Number of post.	53* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'B', Ministerial (Non-Gazetted).
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 7 (₹44900-₹142400).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Non-Selection.
(6)	Age limit for direct recruits.	Not applicable.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	No.
(9)	Period of probation, if any.	Two years.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	By promotion from amongst Senior Secretariat Assistants with at least 5 years' regular service.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Internal Financial Adviser, Director/Deputy Secretary and Under Secretary (Administration)
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Joint Secretary to the President

	Sl.No.	29
(1)	Name of post.	Nursing Officer.
(2)	Number of post.	1* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'B', Non-Ministerial, Non-Gazetted.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 7 (₹44900-₹142400).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government).
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	12 th or equivalent with Grade 'A' certificate in Nursing and experience as Nursing Officer in a Govt. /Semi-Government and recognized Hospital.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Two years for direct recruit.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By deputation, failing which by direct recruitment.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	By deputation from persons holding analogous posts in Central or State Government/Semi-Government.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Director/Deputy Secretary, Physician/Deputy Physician and Under Secretary (Administration).
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Director / Deputy Secretary

	Sl.No.	30
(1)	Name of post.	Supervisor, Telephone Exchange.
(2)	Number of post.	1* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'B', Non-Ministerial, Non-Gazetted.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 7 (₹44900-₹142400).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Selection.
(6)	Age limit for direct recruits.	Not applicable.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable.

(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Not applicable.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	By promotion from Shift Supervisors with 5 years' regular service.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Internal Financial Adviser, Director/Deputy Secretary and Under Secretary (Administration).
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Director / Deputy Secretary

	Sl.No.	31
(1)	Name of post.	Assistant Curator.
(2)	Number of post.	1* [2017] *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'B', Non-Ministerial, Non-Gazetted.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	LEVEL 7 [₹44,900-₹1,42,400]
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age-limit for direct recruits.	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions /orders issued by the Central Government).
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	(i) Master's degree in History with knowledge of Modern Indian History or Master's degree in Museology/Heritage Management, both from a university/institution recognised by the University Grants Commission; and (ii) Two year's practical experience in assisting Curators/Keepers in a Museum of repute involved in museum- related work of collection, documentation, research, dissemination of information, updating and development of exhibits and educational programs, and application of latest IT techniques in museums.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Two years for direct recruit.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By deputation, failing which by direct recruitment.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	For deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutes or Semi Government or Statutory or autonomous organizations holding analogous

		<p>post on regular basis in the parent cadre Department possessing the educational qualifications and experience required for direct recruits.</p> <p>Note 1: Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 45 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	IFA, Director and Joint Director
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Joint Secretary to the President

	Sl.No.	32
(1)	Name of post.	Senior Education Assistant.
(2)	Number of post.	1* [2017] *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'B', Non-Ministerial, Non-Gazetted.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	LEVEL 7 [₹44,900-₹1,42,400]
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age-limit for direct recruits.	Not exceeding 35 years (relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions /orders issued by the Central Government).
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	(i) Bachelor's degree with History as a subject from a recognised university/institution; and (ii) Five year's experience as Research Scholar/ Attendant/Guide, involving installation/demonstration of exhibits in a reputed museum, with ability to explain exhibits fluently in Hindi and English.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	2 years for direct recruits.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By deputation failing which by direct recruitment.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	For deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or autonomous organizations holding analogous post on regular basis in the parent cadre Department possessing the following educational qualifications and experience required for direct recruits.

		<p>Note 1: Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 45 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	IFA, Director and Joint Director.
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Joint Secretary to the President

	Sl.No.	33
(1)	Name of post.	Junior Photographer.
(2)	Number of post.	1* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'B', Non-Ministerial, Non-Gazetted.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 6 (₹35400-₹112400).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age-limit for direct recruits.	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government).
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	<p>Essential :</p> <p>(i) Bachelor's degree from a recognized University.</p> <p>(ii) Two years' experience in various branches of photography including Press Photography in a News or Publicity Organisation with good theoretical and practical knowledge of dark room work.</p> <p>Desirable :</p> <p>Diploma in photography, experience of write ups of photographic features.</p>
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	<p>Age : No.</p> <p>Educational Qualification : Yes.</p>
(9)	Period of probation, if any.	Two years.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	<p>(i) Promotion: By promotion of Production Assistant or Junior Photo Assistant.</p> <p>(ii) By deputation: From persons holding analogous posts in Central Government and possessing qualifications mentioned in Column 7.</p>

(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Press Secretary to the President, Director/Deputy Secretary and Under Secretary (Admn)
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Joint Secretary to the President

	Sl.No.	34
(1)	Name of post.	Technical Assistant.
(2)	Number of post.	1* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'B', Non- Ministerial, Non-Gazetted.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 6 (₹35400-₹112400).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age-limit for direct recruits.	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government).
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	12 th or equivalent with certificate in Laboratory Technical Assistant's Course and 2 years' experience in a Laboratory in recognized medical institute.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Two years.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By deputation failing which by direct recruitment.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	By deputation from persons holding analogous posts in Central or State Government/Semi-Government.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Director/Deputy Secretary, Physician/ Deputy Physician and Under Secretary (Administration).
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Director / Deputy Secretary

	Sl.No.	35
(1)	Name of post.	Shift Supervisor.
(2)	Number of post.	2* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'B', Non-Ministerial, Non-Gazetted.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 6 (₹35400-₹112400).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Selection.
(6)	Age-limit for direct recruits.	Not applicable.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Not applicable.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	By promotion from Telephone Operators Grade-I with 5 years' regular service.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Internal Financial Adviser, Director/Deputy Secretary and Under Secretary (Administration).
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Director / Deputy Secretary

	Sl.No.	36
(1)	Name of post.	Sectional Officer (Horticulture).
(2)	Number of post.	3* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'B', Non-Ministerial, Non-Gazetted.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 6 (₹35400-₹112400)
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government).
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Graduate in Agriculture or Botany with 2 years' experience in horticultural operations.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Two years for direct recruits.
(10)	Method of recruitment, whether by direct	By deputation failing which by direct recruitment.

	recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	Deputation: from persons holding analogous posts in the Horticulture Department of Government/Semi-Government.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Director/Deputy Secretary, OSD (Hort)/Supdt. President's Gardens and Under Secretary (Administration).
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Director / Deputy Secretary

	Sl.No.	37
(1)	Name of post.	Pharmacist.
(2)	Number of post.	3* [2017] *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'C', Non-Ministerial, Non-Gazetted.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 5 (₹29200-₹92300).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age-limit for direct recruits.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Departmental Candidates up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government.) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications except for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2: In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	(i) 12 th Class pass or equivalent from a recognized Board or University; (ii) Diploma in Pharmacy and Registration with State Pharmacy Council.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Age : No. Educational Qualification : Yes.
(9)	Period of probation, if any.	Two years.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various	By deputation, failing which by direct recruitment.

	methods.	
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	<p>Deputation:</p> <p>(a) Officers of Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years'.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	<p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>(1) Director or Deputy Secretary</p> <p>(2) Physician or Deputy Physician</p> <p>(3) Under Secretary (Admn).</p>
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Director / Deputy Secretary

	Sl.No.	38
(1)	Name of post.	Production Assistant.
(2)	Number of post.	1* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 5 (₹29200-₹92300).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	<p>Between 18 and 27 years of age.</p> <p>(relaxable for Departmental Candidates up to 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications except for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p>

		Note 2: In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	<p>Essential :</p> <p>(i) Bachelor's degree from a recognised University.</p> <p>(ii) Three years' experience in composition, enlarging, re-touching, finishing, dry mounting, printing or developing from any reputed studio.</p> <p>(iii) Knowledge of all types of equipments used in dark room.</p> <p>Desirable : Experience in photography.</p>
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	<p>Age : No.</p> <p>Educational Qualification : Yes.</p>
(9)	Period of probation, if any.	Two years.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Promotion, failing which by deputation and failing both by direct recruitment.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	<p>Promotion :</p> <p>Junior Photo Assistant in the Level 4 (₹25500-₹81100) with five years regular service in the grade.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation :</p> <p>(a) Officers of Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years'.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by</p>

		deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) and Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Press Secretary to the President/Deputy Press Secretary to the President</p> <p>(2) Director or Deputy Secretary</p> <p>(3) Under Secretary (Administration)</p>
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Director / Deputy Secretary

	Sl.No.	39
(1)	Name of post.	Receptionist Grade-I
(2)	Number of post.	1* [2017] *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	LEVEL 5 [₹29,200-₹92,300].
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Non-selection.
(6)	Age limit for direct recruits.	18-27 years (relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions/ orders issued by the Central Government).
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	<p><u>Essential</u></p> <p>Degree from a recognised University</p> <p><u>Desirable</u></p> <p>(i) 5 years' Experience in Public Relations (ii) Exposure to working on Personal Computer</p>
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Age : No Educational Qualification: Yes
(9)	Period of probation, if any.	Two years for promotees/direct recruits
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion, failing which by direct recruitment.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	Promotion: Receptionist Grade-II in President's Secretariat in Level 4 (₹25500-₹81100) with five years' regular service in the grade possessing qualification required for direct recruits.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Director, Joint Director and Deputy Secretary / US (Admn)

(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.
------	---	-----------------

Appointing Authority: Director/Deputy Secretary

	Sl.No.	40
(1)	Name of post.	Senior Secretariat Assistant.
(2)	Number of post.	37* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 4 (₹25500-₹81100).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Non-Selection.
(6)	Age limit for direct recruits.	Not applicable.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Two years.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	75% by promotion and 25% by Limited Departmental Competitive Examination.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	(a) 75 per cent by promotion from amongst Junior Secretariat Assistants who have rendered eight years' regular service in the grade, failing which by a Limited Departmental Competitive Examination prescribed at Schedule V; and (b) 25 per cent by promotion of Junior Secretariat Assistants who have rendered five years' regular service in the grade to be selected through a Limited Departmental Competitive Examination prescribed at Schedule V.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Internal Financial Adviser (2) Director/ Deputy Secretary (3) Under Secretary (Administration).
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Director / Deputy Secretary

	Sl.No.	41
(1)	Name of post.	Stenographer Grade 'D'.
(2)	Number of post.	1* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.

(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 4 (₹25500-₹81100).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Departmental Candidates up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	(i) 12 th class pass or equivalent from a recognised Board or University (ii) Skill test norms Dictation : 10 minutes @ 80 words per minute Transcription on computer: 50 minutes (English) 65 minutes (Hindi).
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Two years.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By direct recruitment. Note: Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government: (a) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	Not applicable.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Internal Financial Adviser (2) Director or Deputy Secretary (3) Under Secretary (Admn)
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Director / Deputy Secretary

	Sl.No.	42
(1)	Name of post.	Telephone Operator Grade-I.
(2)	Number of post.	5* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'C', Non-Ministerial, Non-Gazetted.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 4 (₹25500-₹81100).

(5)	Whether selection post or non-selection post.	Non-Selection.
(6)	Age limit for direct recruits.	Not applicable.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Two years.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	<p>Promotion:</p> <p>Telephone Operator Grade-II in the LEVEL 2 (₹19900-₹63200) with eight years' regular service in the grade.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(1) Internal Financial Adviser</p> <p>(2) Director/ Deputy Secretary</p> <p>(3) Under Secretary (Administration).</p>
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Director / Deputy Secretary

	Sl.No.	43
(1)	Name of post.	Junior Photo Assistant.
(2)	Number of post.	1* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 4 (₹25500-₹81100).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	Between 18 and 27 years of age. (relaxable for Departmental Candidates up to 40 years in

		<p>accordance with instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications except for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p> <p>Note 2: In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	<p>(i) 12th class pass or equivalent from a recognized Board or University;</p> <p>(ii) Two years' experience of photographic work from any reputed studio.</p> <p>Desirable: Experience in developing sensitive films.</p>
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Two years.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By deputation failing which by direct recruitment.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	<p>Deputation :</p> <p>(a) Officers of Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years'.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Press Secretary to the President/Deputy Press Secretary to the President</p> <p>(2) Director or Deputy Secretary</p> <p>(3) Under Secretary (Admn).</p>

(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.
------	---	-----------------

Appointing Authority: Director / Deputy Secretary

* The post of Bromide Printer has been re-designated as Junior Photo Assistant, as the post of Bromide Printer is redundant.

	Sl.No.	44
(1)	Name of post.	Sanitary Supervisor.
(2)	Number of post.	1* [2017] *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 4 (₹25500-₹81100).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	Between 18 and 27 years of age. (relaxable for Departmental Candidates up to 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications except for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2: In case of recruitment made through Employment Exchange made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	(i) Matriculation pass or equivalent from a recognized Board; (ii) Diploma in Sanitation or Malariology from a recognized institute.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Two years for direct recruits.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By deputation failing which by direct recruitment.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	Deputation : (a) Officers of Central Government or State Governments or semi-Government or autonomous organisations holding

		<p>analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years'.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Internal Financial Adviser</p> <p>(2) Director or Deputy Secretary</p> <p>(3) Comptroller, President's Household</p>
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Director / Deputy Secretary

	Sl.No.	45
(1)	Name of post.	Receptionist Grade-II
(2)	Number of post.	2* [2017] *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted Non-Ministerial.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	LEVEL 4 [₹25,500-₹81,100].
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	18-27 years (relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions/ orders issued by the Central Government).
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	<p>Essential Degree from a recognised University</p> <p>Desirable (i) 2 years' Experience in Public Relations (ii) Exposure to working on Personal Computer</p>
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Two years.
(10)	Method of recruitment, whether by direct	By direct recruitment.

	recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	Not applicable.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Director, Joint Director and Deputy Secretary / US (Admn)
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Director/Deputy Secretary

	Sl.No.	46
(1)	Name of post.	Telephone Operator Grade-II.
(2)	Number of post.	5* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 2 (₹19900-₹63200).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	Between 18 and 27 years of age. (relaxable for Departmental Candidates up to 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications except for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2: In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	12 th Class or equivalent from a recognized Board or University. Desirable : Two years experience of working as Telephone Operator.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Two years
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By direct recruitment. Note: Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government:

		(a) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	Not applicable.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Internal Financial Adviser (2) Director/Deputy Secretary (3) Under Secretary (Admn).
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Director / Deputy Secretary

	Sl.No.	47
(1)	Name of post.	Junior Secretariat Assistant.
(2)	Number of post.	38* [2017]. *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 2 (₹19900-₹63200).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	Between 18 and 27 years of age. (relaxable for Departmental Candidates up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	(i) 12 th Class pass or equivalent from a recognised Board or University (ii) A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (35 words per minute correspond to 10500 Key Depression Per Hour/30 words per minute correspond to 9000 Key Depression Per Hour on an average of 5 key depressions for each word.)
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Yes, to the extent indicated in Col.10
(9)	Period of probation, if any.	Two years
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various	(i) 85 per cent by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) 5 per cent of the vacancies shall be filled by promotion on

	methods.	<p>seniority-cum-fitness basis from Multi Tasking Staff and Anti Malaria-cum-Multi Tasking Staff, who have three years regular service in posts in the LEVEL 1.</p> <p>(iii) 10 per cent of the vacancies shall be filled by promotion from amongst Multi Tasking Staff and Anti Malaria-cum-Multi Tasking Staff in the Level 1 (18000-56900) and who possesses 12th Class passed or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, to be selected through a Limited Departmental Competitive Examination.</p> <p>Note 1: The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years of age for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes).</p> <p>Note 2: If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for the filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.</p>
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	As stated in Column (10).
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) and Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Internal Financial Adviser</p> <p>(2) Director/ Deputy Secretary</p> <p>(3) Under Secretary (Administration).</p>
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Director / Deputy Secretary

	Sl.No.	48
(1)	Name of post.	Sanitary Fitter
(2)	Number of post.	1* [2017] *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'C' Non Gazetted, Non-Ministerial.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 2 (₹19900-₹63200).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	<p>Between 18 and 27 years of age.</p> <p>(relaxable for Departmental Candidates up to 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications except</p>

		<p>for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p> <p>Note 2: In case of recruitment made through Employment Exchange made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	<p>12th pass or equivalent from a recognized Board;</p> <p><u>Desirable:</u> Five years' experience in Sanitary Fitter's work.</p>
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Two years for direct recruit
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	<p>Promotion : Anti Malaria-cum-Multi Tasking Staff in the Level 1 (₹18000-₹56900) with three years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation :</p> <p>(a) Officers of Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years'.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the</p>

		closing date of receipt of applications.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	1. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) and Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of :- (1) Internal Financial Adviser (2) Director or Deputy Secretary (3) Comptroller, President's Household
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Director / Deputy Secretary

	Sl.No.	49
(1)	Name of post.	Record Keeper
(2)	Number of post.	4* [2017] *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'C' Non Gazetted, Non-Ministerial.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 2 (₹19900-₹63200).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Non-Selection.
(6)	Age limit for direct recruits.	Not applicable.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Two years
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	Promotion : Multi Tasking Staff in the Level 1 (₹18000-₹56900) with three years' regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying

		or eligibility service.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Internal Financial Adviser (2) Director or Deputy Secretary (3) Under Secretary (Admn)
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Director / Deputy Secretary

* No. of posts changed from one to four by merging three posts of Gestetner Operator.

	Sl.No.	50
(1)	Name of post.	Multi Tasking Staff.
(2)	Number of post.	69* [2017] *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'C' Non Gazetted, Non-Ministerial.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 1 (₹18000-₹56900).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	Between 18 and 27 years of age. (relaxable for Departmental Candidates up to 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications except for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2: In case of recruitment made through Employment Exchange made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	10+2 (Higher Secondary) or equivalent from a recognized Board.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Two years.
(10)	Method of recruitment, whether by direct	By direct recruitment.

	recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officials of the Central Government: (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	Not applicable.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of :- (1) Internal Financial Adviser (2) Director or Deputy Secretary (3) Under Secretary (Admn)
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Director / Deputy Secretary

* No. of posts became 69 by merging erstwhile 1 post of Library Attendant, 4 posts of Record Sorter, 25 posts of Duftry and 44 posts of Peon as Multi Tasking Staff and deducting the 5 posts of peon for keeping in abeyance for creation of one post of Section Officer and one post of Assistant.

	Sl.No.	51
(1)	Name of post.	Anti Malaria-cum-Multi Tasking Staff.
(2)	Number of post.	19* [2017] *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'C' Non Gazetted, Non-Ministerial.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 1 (₹18000-₹56900).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	Between 18 and 27 years of age. (relaxable for Departmental Candidates up to 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications except for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2: In case of recruitment made through Employment Exchange made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the

		Employment Exchange is asked to submit the names.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	10+2 or equivalent in Science stream from a recognized Board. <u>Technical Qualification:</u> Computer knowledge of Microsoft suite.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Two years.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government: (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	Not applicable.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of :- (1) Internal Financial Adviser (2) Director or Deputy Secretary (3) Comptroller, President's Household
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Director / Deputy Secretary

* No. of posts became 19 by merging erstwhile 1 post of Anti Malaria Jamadar and 18 posts of Anti Malaria Gangman as Anti Malaria -cum-Multi Tasking Staff .

	Sl.No.	52
(1)	Name of post.	Medical Female Attendant – cum – MTS
(2)	Number of post.	2* [2017] *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'C' Non Gazetted, Non-Ministerial.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 1 (₹18000-₹56900).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	Between 18 and 27 years of age.

		<p>(relaxable for Departmental Candidates up to 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications except for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p> <p>Note 2: In case of recruitment made through Employment Exchange made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	<p><u>For female candidates only</u></p> <p>10+2 or equivalent in Science stream from a recognized Board.</p> <p><u>Technical Qualification:</u></p> <p>(i) Certificate in First-aid from a recognized institution; (ii) Knowledge of dressing, injection and CPR (Cardiopulmonary resuscitation); (iii) Knowledge of emergency care and maintenance of medical equipment.</p> <p><u>Experience:</u> At least One year experience of working in any hospital/medical institution. (ii) Certificate in Mid-wifery from a recognized institution.</p>
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Two years.
(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled in deputation basis from officers of the Central Government:</p> <p>(a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).</p>
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	Not applicable.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Director or Deputy Secretary</p>

		(2) Physician to the President or Deputy Physician to the President (3) Under Secretary (Admn).
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Director / Deputy Secretary

#The post of Nurse Dai has been re-designated as Medical Female Attendant – cum – MTS in view of functional requirement of the President's Estate Clinic.

[**Note:** The number of posts has been changed from three to two, because One post of Sectional Officer (Hort) and One post of Nurse Dai have been kept in abeyance for creation of One post of Assistant Library and Information Officer vide O.O. No.A-15011/12/96-Adm dated 20th September 2005].

	Sl.No.	53
(1)	Name of post.	Chowkidar
(2)	Number of post.	3* [2017] *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service, Group 'C' Non Gazetted, Non-Ministerial.
(4)	LEVEL in the PAY MATRIX.	Level 1 (₹18000-₹56900).
(5)	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
(6)	Age limit for direct recruits.	Between 18 and 27 years of age. (relaxable for Departmental Candidates up to 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications except for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2: In case of recruitment made through Employment Exchange made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.
(7)	Educational and other qualifications required for direct recruits.	<u>From Ex-servicemen of Armed Forces</u> <u>Educational Qualification:</u> 10+2 or equivalent from a recognized Board. <u>Technical Qualification:</u> Computer knowledge of Microsoft suite.
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
(9)	Period of probation, if any.	Two years.

(10)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled in deputation basis from officers of the Central Government: (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).
(11)	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	Not applicable.
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of :- (1) Director or Deputy Secretary (2) OSD (Horticulture) or Superintendent, President's Gardens (3) Under Secretary (Admn)
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

Appointing Authority: Director / Deputy Secretary

SCHEDULE – II

Co-terminus posts in the President's Secretariat as on 25.7.2012– Tenable for the duration of each President's term.

See Rule 2(c)(ii) and 4.

Details of co-terminus posts in the President's Secretariat as on 25.7.2012

S.No.	Name of Post	Classification	Scale of pay with the concurrence of Ministry of Finance	Number of posts
1.	Officer on Special Duty (PR) [JS Level]	General Central Services Group 'A'	LEVEL 14	1
2.	Officer on Special Duty [JS Level]	General Central Services Group 'A'	LEVEL 14	1
3.	Officer on Special Duty (Director level)	General Central Services Group 'A'	LEVEL 13	1
4.	Private Secretary to the President (Director level)	General Central Services Group 'A'	LEVEL 13	2
5.	Officer on Special Duty (Hort)	General Central Services Group 'A'	LEVEL 13	1
6.	Officer on Special Duty	General Central Services Group 'A'	LEVEL 12	2
7.	Private Secretary to the President	General Central Services Group 'A'	LEVEL 12	3
8.	Deputy Press Secretary to the	General Central Services	LEVEL 12	1

	President	Group 'A'		
9.	Officer on Special Duty (Hindi)	General Central Services Group 'A'	LEVEL 12	1
10.	Additional Private Secretary (Under Secretary level)	General Central Services Group 'A'	LEVEL 11	2
11.	Private Secretary	General Central Services Group 'B' (Non-Gazetted)	LEVEL 8	2
12.	Personal Assistant	General Central Services Group 'B' (Non-Gazetted)	LEVEL 7	3
13.	Stenographer Grade 'D'	General Central Services Group 'C'	LEVEL 4	1
			Total =	21

For the above posts which will be co-terminus with the term of The President, the Appointing Authority, Classification, qualifications, method of recruitment and source of recruitment etc. will be as under:

Appointing Authority	The President
Classification	As may be decided by The President
Scale of pay	As may be decided on a personal basis with the concurrence of the Ministry of Finance
Qualifications	At the discretion of The President
Method of Recruitment	Selection at the discretion of The President
Source of Recruitment	At the discretion of The President
Remarks	Incumbents will hold posts during the pleasure of The President.

SCHEDULE – III

Posts in the President's Secretariat paid from Defence Estimates

See Rule 2(c)(iii) and 5.

1.	Sl.No.	1
2.	Name of Post	Military Secretary to the President
3.	Number of post	One
4.	Classification	Class I
5.	Appointing Authority	The President
6.	Scale of Pay	As for a Major-General in the Indian Army
7.	Qualification	Major-General or equivalent in the Defence Services
8.	Method of recruitment	On selection from Defence Services
9.	Remarks	Incumbent will hold post during the pleasure of The President

1.	Sl.No.	2
2.	Name of Post	Deputy Military Secretary to the President
3.	Number of Post	One
4.	Classification	Class I
5.	Appointing Authority	The President
6.	Scale of Pay	As for a Colonel in the Indian Army
7.	Qualification	Colonel or equivalent in the Defence Services
8.	Method of recruitment	On selection from Defence Services
9.	Remarks	Incumbent will hold post during the pleasure of The President

1.	Sl .No.	3
2.	Name of Post	AsDC (Commissioned Officers)
3.	Number of Post	Five (three from Indian Army, one from Indian Navy and one from Indian Air Force)
4.	Classification	Class I
5.	Appointing Authority	The President
6.	Scale of Pay	As for a Captain in the Indian Army or Lieutenant in the Indian Navy or Flight-Lieutenant in the Indian Air Force
7.	Qualification	Captain of Indian Army/Lieutenant of Indian Navy/Flight-Lieutenant of Indian Air Force.
8.	Method of recruitment	On selection from Defence Services
9.	Remarks	Incumbent will hold post during the pleasure of The President

1.	Sl.No.	4
2.	Name of Post	AsDC (Junior Non-Commissioned Officers)
3.	Number of Post	Five (three from Indian Army, one from Indian Navy and one from Indian Air Force)
4.	Classification	Class II
5.	Appointing Authority	The President
6.	Scale of Pay	As for officers of the corresponding ranks in the Defence Cadre.
7.	Qualification	As for officers of the corresponding ranks in the Defence Cadre.
8.	Method of recruitment	On selection from Defence Services
9.	Remarks	Incumbent will hold post during the pleasure of The President

SCHEDULE-III-A

(See rule 8)

CONSTITUTION OF THE SELECTION BOARD AND ITS FUNCTIONS

The Selection Boards for recommending suitable candidates, for appointment to the posts specified in Schedule-I, will be as specified against each post.

2. The vacancies to be filled by direct recruitment shall be advertised or notified to the local Employment Exchange, Surplus Cell except those filled through UPSC/Staff Selection Commission.
3. The applications received shall be screened with a view to ensuring that the candidates fulfill the eligibility conditions regarding age limit, educational qualifications and experience for the post.
4. The nature of test, whether written or oral or both and whether in addition to, there will be any physical test, shall be decided by the Secretary to the President and he shall determine the criteria for selection and the test shall be taken on the basis of such criteria :

Provided that where the appointing authority is The President, the Secretary to the President shall take such decision and determine such criteria with prior approval of The President.

5. On the basis of the test, the Selection Board shall prepare a select list of suitable candidates, in order of merit to the extent of declared number of vacancies, for consideration of their appointment to the posts and also prepare a reserve list. The reserve list so prepared shall be operated if any person in the final list fails to join any of the declared vacancies. The reserve list shall become inoperative if all the declared vacancies are filled by candidates placed in the final list.
6. The validity of the final list shall ordinarily be one year:

Provided that the validity of the final list may be extended beyond one year by the President or the Secretary to the President, as the case may be, till the declared number of vacancies are filled.

SCHEDULE - IV

(see rule 9)

**FUNCTIONS OF
THE DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE
AS PROVIDED UNDER
DIFFERENT POSTS
IN SCHEDULE I.**

FUNCTIONS OF THE DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE AS PROVIDED UNDER DIFFERENT POSTS IN SCHEDULE I.

1. **Functions of the Committee** .—The Departmental Promotion Committee will deal with all cases of –
 - (i) Promotion of Government servants to selection as well as non-selection posts;
 - (ii) confirmation of Government servants in their respective grade or post;
 - (iii) assessment of the work and conduct of the probationers, for determining their suitability for retention in service or their discharge from it, or extending the prescribed period of their probation;
2. **Procedure to be observed** – The Departmental Promotion Committee will observe the following principles for the purpose of preparation of the panel –
 - (a) Promotion to the LEVEL 12 and above.
 - (i) The mode of promotion shall be as given in Schedule I against the respective post.

- (ii) The benchmark shall be 'Very Good'.
- (iii) The DPC shall grade officers as 'fit' or 'unfit' only with reference to the benchmark of 'Very Good'. Only those who are graded as 'fit' shall be included in the select panel prepared by the DPC in order of their inter-se-seniority in the feeder grade.
- (b) Promotion to grades below the LEVEL 12 (including promotions from lower Groups to Group 'A' posts/grades/services).
- (i) The mode of promotion shall be 'selection'.
- (ii) The benchmark shall be 'Good'
- (iii) The DPC shall for promotion to posts/grades/services in the aforesaid categories, grade officers as 'fit' or 'unfit' with reference to the benchmark of 'Good'. Only those who are graded as 'fit' shall be included in the select panel prepared by the DPC in order of their inter-se-seniority in the feeder grade.
3. **For promotion to non-selection posts** – Where the promotions are to be made on 'non-selection' basis according to recruitment rules, the Departmental Promotion Committee need not make a comparative assessment of the records of officers and it should categorise the officers as 'fit' or 'not fit' for promotion on the basis of assessment of their record of service. The officers categorized as 'fit' should be placed in the panel in the order of their seniority in the grade from which promotions are to be made.
4. **For confirmation** – In case of confirmation, the Departmental Promotion Committee should not determine the relative merit of officers but it should assess the officers as 'fit' or 'not fit' for confirmation in their turn on the basis of their performance in the post as assessed with reference to their record of service.
5. **Probation** – In the case of probation, the Departmental Promotion Committee should not determine the relative grading of officers but only decide whether they should be declared to have completed the probation satisfactorily. If the performance of any probationer is not satisfactory, the Departmental Promotion Committee may advise whether the period of probation should be extended or whether he should be discharged from service.
6. **Meetings of the Committee** – The Departmental Promotion Committee will meet at annual intervals or as may be directed by the Secretary to the President and draw panels which will be used for making promotions against vacancies arising during the course of a year. The panel drawn up on the recommendation of the Committee, as approved by the appointing authority, will normally be valid for one year. It shall cease to be in force on the expiry of the period of one year or extended period of time as decided by The President or Secretary to the President as the case may be or when a fresh panel is prepared, whichever is earlier. Promotions will be made in the order in which the candidates are placed in the panel.

SCHEDULE - V

REGULATIONS FOR CONDUCT OF PRESIDENT'S SECRETARIAT SENIOR SECRETARIAT ASSISTANT (LIMITED DEPARTMENTAL COMPETITIVE EXAMINATION).

1. **Definitions.** —(1) In these regulations, unless the context otherwise requires
- (a) "crucial date" means that the candidate should have on the 1st August of the calendar year in which the examination is scheduled to be held rendered an approved and continuous service of not less than 5 years in the Junior Secretariat Assistant's grade.
- Provided that if he had been appointed to the Junior Secretariat Assistant's Grade on the result of the Examination including Limited Departmental Examination the result of such examination should have been announced not less than 5 years before the crucial date and he should have rendered not less than 4 years approved and continuous service in the Grade.
- (b) "examination" means a qualifying limited departmental competitive examination held by the appointing authority or any authority authorized by him in this behalf.
- (2) All other words and expressions used in these regulations and not defined herein but defined in the President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2017 shall have the meanings respectively assigned to them in these rules.

2. **Holding of examination :**

- a. The examination shall be conducted by the appointing authority for Senior Secretariat Assistant in President's Secretariat or any authority authorized by him in this behalf.
- b. The examination shall be held once in a financial year to fill up the vacancies occurring in that financial year.
- c. The date(s), time and venue of the examination shall be fixed by the appointing authority.

3. Conditions of eligibility for appearing in the examination:

- (1) Permanent or regularly appointed Junior Secretariat Assistant as in 1(a) above.
- (2) Junior Secretariat Assistants, who are on deputation to ex-cadre posts, with the approval of the competent authority, shall also be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.
- (3) Any Junior Secretariat Assistant who has been appointed to an ex-cadre post or to any other Service on transfer basis and does not have a lien in the Junior Secretariat Assistant of the President's Secretariat shall not be eligible to appear in the examination.

4. **Age.** – No Junior Secretariat Assistant who is of more than 50 years of age as on the crucial date shall be eligible to appear in the examination.

5(1). The examination shall be conducted according to the following plan :-

Part 1 : Written examination carrying a maximum of 300 marks in subjects as shown in sub-regulation(2).

Part 2 : Evaluation of record of service of such of the candidate who attain at the written examination, a minimum qualifying standard as may be fixed by the appointing authority having regard to the number of vacancies shall be done by the Departmental Promotion Committee. The maximum marks for the record for service shall be 100.

Subject (1)	Maximum Marks (2)	Time (3)
Paper-I: (Objective Type)]	
(a) General Awareness]	
100 questions]	
]	
(b) Comprehension and]	
Written ability in English]]	
Language]	
100 questions]	
Paper-II		
Noting, Drafting and Office Procedure	100	2 hours

Paper I shall be Objective-Multiple-choice-Type whereas Paper II will be descriptive type.

(2) The syllabus for the examination shall be as given in regulations.

Note 1 : Candidates are allowed the option to answer Paper-II on Noting, Drafting and Office Procedure either in English or in Hindi.

Note 2 : The option shall be for a complete paper and not for different questions in the same paper. The candidate should indicate by the stipulated date as notified by the competent authority whether they should take the paper in English or in Hindi.

(3) Credit will be given, for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

6. The Syllabus of the Examination shall be as under:-

Paper-I

- (a) General Awareness – Questions will be aimed at testing the candidates' general awareness of the environment around him and its applications to the society. Questions will also be designed to test knowledge of current events and of such matters of every day observations and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person. The test may also include questions relating to India and its neighbouring countries especially pertaining to history, culture geography, economic scene, general polity and scientific research.
- (b) Comprehension and writing ability of English Language – Question will be designed to test the candidates' understanding and knowledge of English language, vocabulary, spelling, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms, sentence completion, phrases, idiomatic use of words, etc. There shall be a question on comprehension of a passage also.

Paper-II

Noting, Drafting and Office Procedure – The paper on Noting, Drafting and Office Procedure will be designed to test the candidates' knowledge of Office Procedure in the Secretariat and generally their ability to write and understanding notes and prepare drafts.

7. Merit List -

- (1) Having regard to the approximate number of vacancies to be filled on the basis of the examination, the appointing authority may fix minimum qualifying marks in an examination.
- (2) The Merit List shall be prepared on the basis of the results of the examinations in the order of merit up to number of vacancies to be filled on the basis of the examinations keeping in view the orders relating to reservations to be made to persons belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and other category of persons.

8. Select List –

- (1) The Select List for appointment to the post of Senior Secretariat Assistant shall be made keeping in view the existing and anticipated vacancies in the proportion of 3:1 from amongst:-
- (a) officials of Junior Secretariat Assistant's Grade in that cadre who have rendered not less than eight years regular service in the grade and are within the range of seniority in that grade.
- (b) the fourth vacancy shall go to an official whose name appears in the merit list prepared under regulation 7 and subject to the Departmental Promotion Committee declaring 'fit' for promotion in accordance with the relevant rules.
- (2) Persons of the above two categories being included in the Select List by taking alternately three persons from category (a) and one person from category (b) and so on, in that order.
- (3) The Select List shall be prepared by the Departmental Promotion Committee in accordance with the relevant rules and instructions and approved by the competent authority.
- (4) The inter-se ranking of those persons who qualify in the examination shall be in the order of their merit and those qualifying in any earlier examination shall be ranking en bloc senior to those who qualify in a later examination. The vacancies which could not be filled by promotion for want of Junior Secretariat Assistant eligible for such promotion in a year shall be filled up by candidates selected on the basis of the examination.

[F. No. A-35011/6/06-Admn.]

S. N. S. PRAKASH, Under Secy. (Admn.)